

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

**19 अगस्त, 2015 को नई दिल्ली में आयोजित केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (केब)
की 63वीं बैठक की कार्यवाहियों का रिकॉर्ड**

श्रीमती स्मृति ज़बिन इरानी, माननीया मानव संसाधन विकास मंत्री की अध्यक्षता में केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की 63वीं बैठक 19 अगस्त, 2015 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। बैठक में श्रीमती मेनका संजय गांधी, महिला तथा बाल विकास मंत्री, श्री जे.पी. नड्डा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, श्री आर.एस. कठेरिया, मानव संसाधन विकास मंत्रालय राज्य मंत्री, 19 राज्यों के शिक्षा मंत्री, 29 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के शिक्षा मंत्री, केब के सदस्य, स्वायत्त संगठनों के प्रमुख, विश्वविद्यालयों के कुलपति, वरिष्ठ शिक्षा शास्त्री उपस्थित हुए। श्री वी.एस ओबरॉय, सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग सह-सदस्य-सचिव, केब, डा. सुभाष सी. खूंटिया, सचिव, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, केन्द्र और राज्य सरकारों के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ अध्यक्ष यूजीसी और एआईसीटीई भी बैठक में उपस्थित थे। प्रतिभागियों की सूची अनुबंध-I में दी गई है। दिनांक 21 सितम्बर, 2015 के का.जा.सं.-2-8/2015-पीएन-I के जरिए पहले ही से विचार-विमर्श के सारे रिकॉर्ड को परिचालित कर दिया गया है (अनुबंध-II) ।

2. श्री वी.एस.ओबरॉय, सचिव (उच्चतर शिक्षा विभाग), मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने बैठक में प्रतिभागियों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि पुनर्गठित केब की यह पहली बैठक है और इसमें किए जाने वाले विचार-विमर्श उपयोगी, सफल होंगे और उस के प्रकार परिवर्तन को प्रोत्साहित करेंगे, जिसकी परिकल्पना, शिक्षा के वातावरण क्षेत्र में की जा रही है। उन्होंने फिर 62वीं केब बैठक के विचार-विमर्श को संक्षेप में दोहराया और मुख्य सिफारिशों के संबंध में की गई कार्रवाई के बारे में सूचित किया। उन्होंने केब सदस्यों को सूचित किया कि कुछ केब उप-समितियों ने, जिन्हें पूर्व बैठकों में बनाया गया था, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी जो इस बैठक में कुछ विचार-विमर्श का आधार बन सकती है। इसके अतिरिक्त, नई शिक्षा नीति और शिक्षा तक पहुंच और इसकी गुणवत्ता से संबद्ध अन्य मुद्दों की प्रगति के संबंध में विचार-विमर्श आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने फिर प्रथम संवर्धन के लिए माननीया मानव संसाधन विकास मंत्री को आमंत्रित किया।

3. माननीया, मानव संसाधन विकास मंत्री ने बैठक में सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया। उन्होंने सूचित किया कि यह केवल पहली बार है कि केन्द्र और राज्य सरकारों ने सभी सरकारी

स्कूलों में पृथक शौचालयों की बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराके एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। उन्होंने प्रत्येक स्कूल में बालिकाओं और बालकों के लिए पृथक शौचालयों तक 100% पहुंच के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उनके प्रयासों के लिए सभी राज्य सरकारों और संस्थानों को धन्यवाद दिया। उन्होंने इस पर विशेष बल दिया कि विचार-विमर्श का केंद्र नई शिक्षा नीति होगा। उन्होंने उन राज्य सरकारों को धन्यवाद दिया जिन्होंने अपने-अपने संबंधित राज्यों में विचार-विमर्श की प्रक्रिया शुरू कर दी थी और अपनी चिंताओं के बारे में केंद्र सरकार को सूचित किया था। उसके बाद उन्होंने राज्य सरकारों से अनुरोध किया कि जिन राज्यों ने अभी तक भी विचार-विमर्श की प्रक्रिया शुरू नहीं की थी या शुरू की थी लेकिन अभी तक केंद्र सरकार को सूचित नहीं किया है वे नई शिक्षा नीति के संबंध में अपेक्षित सूचना उपलब्ध करा दें।

4. माननीया, मानव संसाधन विकास मंत्री ने स्कूल/उच्च शिक्षा पाठ्यचर्या में एनसीसी अथवा एनएसएस को शुरू करने के बारे में उल्लेख किया और कहा कि बैठक में इस संबंध में उनके योगदान और अनुभवों की जानकारी दी जाएगी। उन्होंने सूचित किया कि प्रतियोगिताओं के माध्यम से विद्यार्थियों को उनके राज्य की संस्कृति प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए दिसम्बर मास में राष्ट्रीय स्तर पर कला उत्सव आयोजित किया जाएगा। उन्होंने सूचित किया कि राज्य सरकारों से पहले से ही इस प्रकार की प्रतियोगिताओं को पहले राज्य स्तर पर कराने का और राष्ट्रीय स्तर पर एक टीम स्थापित करने का अनुरोध कर दिया है।

5. उन्होंने इसके अतिरिक्त सदस्यों को सूचित किया कि गणित और विज्ञान में विद्यार्थियों की रुचि बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय आविष्कार अभियान शुरू कर दिया गया है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति, डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, द्वारा यह अभियान शुरू किया गया था। माननीया मानव संसाधन विकास मंत्री ने डॉ. कलाम की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया और कहा कि अब यह हमारा उत्तरदायित्व है कि इस अभियान को सफल बनाएं। फिर उन्होंने सभी राज्य सरकारों से सुझाव प्रस्तुत करने का अनुरोध किया ताकि स्कूल और स्कूल के बाहर के विद्यार्थियों को, इस अभियान के तहत गणित और विज्ञान में पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

6. माननीया, मानव संसाधन विकास मंत्री ने उल्लेख किया कि वहनीय उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने में आगे एक बड़ी चुनौती है और इस दिशा में बहुत जल्दी एक कदम, 'स्वयम' शुरू करना

हो सकता है। इस मंच के तहत सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों, आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी को अपने सर्टिफिकेट/डिप्लोमा पाठ्यक्रम और कुछ सीमा तक इसमें डिग्री पाठ्यक्रम प्रदान कर प्रोत्साहित किया जाता है। इसे भारतीय नागरिकों को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा और प्रमाणन इत्यादि की लागत नाममात्र की होगी। भारतीय शिक्षा पद्धति में यह एक क्रांतिकारी कदम होगा। उन्होंने राज्य सरकार के सभी प्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि वे इस मंच पर ऑनलाइन पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने में इच्छुक राज्य शैक्षिक संस्थाओं के बारे में केंद्र सरकार को सूचित करें।

7. माननीया, मानव संसाधन विकास मंत्री ने सूचित किया माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने XIIवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कुल 900 करोड़ रु. के कुल परिव्यय से दिसम्बर में अध्यापकों और अध्यापन के संबंध में एक नई योजना पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय मिशन शुरू की थी ताकि अध्यापकों को प्रोत्साहित किया जा सके, उन्हें सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके और प्रौद्योगिकी और अध्यापन कौशलों के बारे में उन्हें अवगत रखा जा सके। उन्होंने अनुरोध किया कि यदि राज्यों के पास कोई सुझाव/सूचना और अध्यापक उपलब्ध हैं जो इस मिशन में शामिल होना चाहते हैं, तो इसे विचार करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय को उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने फिर उल्लेख किया कि माननीय प्रधानमंत्री ने इच्छा व्यक्त की थी कि हमारी शैक्षिक संस्थाओं में पढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शिक्षा-शास्त्रियों को आमंत्रित किया जाए। इस परिप्रेक्ष्य में सरकारी संस्थाओं में पढ़ाने के लिए जीआईएएन के तहत लगभग 500 विदेशी शिक्षा-शास्त्रियों को आमंत्रित किया जा रहा है। यूजीसी/एआईसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त और "ए" प्रत्यायित राज्य संस्थाओं को भी इस पहल में शामिल किया जा सकता है, इस संबंध में शीघ्र ही राज्य सरकारों को सूचना दी जाएगी। उन्होंने एक बार फिर से सभी केब सदस्यों का स्वागत और धन्यवाद किया और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रयासों में उनके प्रयासों की सराहना की। उन्होंने फिर माननीया महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती मेनका गांधी से बैठक को संबोधित करने का अनुरोध किया।

8. श्रीमती मेनका गांधी, महिला एवं बाल विकास मंत्री ने उच्च शिक्षा में जेंडर समर्थक अवधारणा के बारे में सहमत होने के लिए माननीया मानव संसाधन विकास मंत्री को धन्यवाद दिया। उन्होंने केब सदस्यों से आग्रह किया कि वे स्कूल शिक्षा में भी इस उपागम को शामिल करें। उन्होंने सूचित किया कि एक जेंडर समर्थक प्रत्येक कक्षा में से एक छात्र या छात्रा होती है जिसने महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ावा देने शिक्षा और उनके उत्थान के लिए कुछ कार्य किया

है। अपने स्कूल अथवा कॉलेज से विदा लेते हुए उन्हें एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाता है। अपने कार्य के दौरान उसी कार्य को भी करने के लिए अथवा अन्य क्रियाकलापों के लिए यह एक प्रोत्साहन होता है। उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि खेल-कूद पाठ्यचर्या में लड़कियों के लिए आत्मरक्षा को भी शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने फिर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत एक कार्यक्रम 'सबला' का उल्लेख किया, जो बच्चों, विशेष रूप से लड़कियों के लिए है जो कभी भी स्कूल नहीं गई हैं। उन्होंने उन लड़कियों के बारे में चिंता जाहिर की जो 12 अथवा 13 वर्ष में स्कूल की पढ़ाई बीच में छोड़ देती हैं। इस संबंध में उन्होंने केब सदस्यों से एक हल निकालने का अनुरोध किया। उन्होंने उच्च शिक्षा में ग्रीष्म स्कूलों का विचार दिया जिसमें बच्चों को उनकी अभिरुचि के क्षेत्र में विषय के अस्थाई अध्यापकों की सहायता से दो महीने की अवधि के लिए शिक्षण उपलब्ध कराया जा सकता है। उन्होंने फिर स्कूलों द्वारा वन्य-जीव-जंतु मर्दों, जिनमें प्रयोगशाला/पशुओं के मॉडल शामिल हैं की तस्करी के एक मुद्दे को उठाया और दो वर्ष पहले केब द्वारा जारी किए गए एक परिपत्र के बारे में ध्यान आकर्षित किया, जिसमें प्रत्येक स्कूल को मुख्य वन्य जीव वार्डन के कार्यालय में अपने नमूनों को छोड़ने का निर्देश दिया गया था। उन्होंने उल्लेख किया कि अभी तक कई स्कूलों में छापा मारा गया है और उनमें से अनेक स्कूलों में सैंकड़ों नमूने पाए गए। उन्होंने इसलिए राज्य सरकारों से केब द्वारा जारी किए गए निर्देशों का अनुपालन करने का अनुरोध किया ताकि पूरे भारत में वन्य जीव-जंतु की बड़ी संख्या को बचाया जा सके।

9. माननीया मानव संसाधन विकास मंत्री ने स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों को वापस शिक्षा पद्धति में लाने के लिए एक कार्य-योजना सुझाने के लिए एक उप-समिति गठित करने के लिए केब सदस्यों का सहयोग मांगा है। सभी सदस्यों ने इसका समर्थन किया। उन्होंने सभी को धन्यवाद दिया और उन्होंने श्री जे.पी. नड्डा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण केन्द्रीय मंत्री को उनके विचार प्रकट करने के लिए आमंत्रित किया।

10. श्री जे.पी. नड्डा, केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने कहा कि शिक्षा क्षेत्र को एक नई दिशा प्रदान करने के लिए कई रचनात्मक सुझाव उपलब्ध कराने में केब सदस्य समर्थ होंगे। उन्होंने अनुभव किया कि शिक्षा नीति में परिवर्तन एक दिखावटी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उन्होंने सराहना की कि कुछ राज्यों में नई शिक्षा नीति के लिए परामर्श प्रक्रिया के बारे में विचार-विमर्श शुरू हो चुका है। उनकी राय थी कि शिक्षा क्षेत्र में परिवर्तन करते समय सूचनाओं को आंतरिक अनुभवों से लिया जाना चाहिए न कि अन्य देशों से, क्योंकि भारत में विकास की स्थितियाँ निराली हैं जिनकी अन्य देशों के साथ तुलना नहीं की जा सकती है।

उन्होंने उल्लेख किया कि शिक्षा और स्वास्थ्य अंत-संबंध हैं और उन्होंने अनुरोध किया कि स्वास्थ्य विषय को नई शिक्षा नीति के बारे में विचार-विमर्श में भी शामिल किया जाना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक स्वास्थ्य पाठ्यक्रम तैयार किया है जिसे पाठ्यक्रम परिचर्या में शामिल किया जाना चाहिए कि जिसे आरंभिक आयु में शामिल किया जाना बेहतर होगा। यदि इस दिशा में स्कूल शिक्षा पद्धति में प्रयास किया जाए तो जीवन-शैली संबंधित बीमारियों से बचा जा सकता है। उन्होंने उल्लेख किया कि इस विषय पर माननीया मानव संसाधन विकास मंत्री महोदय के जरिए सभी राज्यों को पुस्तिका भेज दी जाएगी। उन्होंने योग को अंतर्राष्ट्रीय रूप से अपनाए जाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की और यह अनुभव किया कि इसे ओर आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। उनकी राय थी कि 'स्वास्थ्य दिवस' नामक एक दिन को स्वास्थ्य शिक्षा के लिए समर्पित किया जाना चाहिए। उन्होंने इस संदर्भ में राज्य सरकारों से सुझाव आमंत्रित किए। उन्होंने राज्यों द्वारा उतकृष्ट पद्धतियों के संबंध में भी आपसी संवाद का सुझाव दिया, जिन्हें अन्य राज्य अपने ढंग से दोहरा सकते हैं।

11. राज्यों के द्वारा सर्वोत्तम उपायों को साझा करने के संबंध में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा दिए गए सुझाव की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए माननीया मानव संसाधन विकास मंत्री ने सूचित किया कि शिक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन गुजरात में नवंबर, 2015 को आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने सभी राज्यों से सम्मलेन में शैक्षणिक सक्षमता या स्थिति प्रस्तुत करने का अनुरोध किया और यदि राज्य को किसी विशिष्ट देश या अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के साथ शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) हस्ताक्षर करने की जरूरत पड़े तो उन्होंने सभी सहयोग देने का आश्वासन दिया।

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्रीमति मेनका गांधी ने मासिक धर्म के कारण बालिका छात्राओं की गैर हाजिरी पर चिंता जाहिर की है और उल्लेख किया कि चंडीगढ़ में उनकी सैनिटरी नैपकिन की आपूर्ति के बाद स्थिति में सुधार आया है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि गुजरात के महेश पटेल द्वारा सैनिटरी टॉवल बर्नर का आविष्कार किया गया है जो सस्ता और पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित है। उन्होंने बालिका/छात्राओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से उनको सैनिटरी नैपकिन और बर्नर मुहैया कराने के विचार की इच्छा की। माननीया मानव संसाधन विकास मंत्री ने केब (सीएबीई) सदस्यों को जेंडर चैंपियन्स और एक समर्पित स्वास्थ्य दिवस के संबंध में माननीया महिला एवं बाल विकास मंत्री और माननीय स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा दिए गए सुझावों पर अपनी राय देने के लिए आमंत्रित किया।

12. समिति को सूचित किया गया था कि राजस्थान और असम में बालिकाओं को सैनिटरी नैपकिन की आपूर्ति पहले से ही शुरू कर दी गई है। बिहार के मामले में श्री पी.के.शाही स्वास्थ्य मंत्री ने सूचित किया कि उन्होंने राज्य के कोने-कोने में बालिकाओं को सैनिटरी टॉवेल उपलब्ध कराने के लिए बालिकाओं को 150 /- रु. की राशि अंतरित कर दी है और यह स्वयं-सहायता समूहों की मदद लेने पर भी मुश्किल काम था। श्रीमती डिम्पल वर्मा, प्रधान सचिव, बुनियादी शिक्षा, उत्तर प्रदेश ने सूचित किया कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में सैनिटरी नैपकिन की आपूर्ति की जा रही है। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री के सुझाव का संदर्भ देते हुए उन्होंने उल्लेख किया कि 8वीं से 12वीं तक की कक्षाओं में 'हम और हमारा स्वास्थ्य' पुस्तक को इस विषय पर अनिवार्य परीक्षा और मूल्यांकन के साथ शुरू की गई है। उन्होंने सुझाव दिया कि यदि इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) से मिला दिया जाए तो इस कार्यक्रम का प्रसार करने में आसानी होगी।

13. श्रीमती स्वरूप सम्पत ने सुझाव दिया कि जीवन कौशल सभी स्तर पर केवल मानसिक स्वास्थ्य को ही नहीं बल्कि अधिगम को भी बढ़ाते हैं और इस प्रकार एक व्यापक जीवन कौशल कार्यक्रम की शुरुआत के साथ जेंडर समस्या, स्वास्थ्य जागरूकता के लिए विशेष कार्यक्रमों को टाला जा सकता है। श्री विनायक लोहानी ने सुझाव दिया कि शैक्षणिक पाठ्यचर्या में चाईल्ड लाईन, 24 घंटे सेवा वाली हेल्पलाइन को शामिल किया जा सकता है जोकि बाल सुरक्षा के लिए महिला एवं बाल विकास (डब्ल्यूसीडी) कर एक अग्रणी कार्यक्रम है और इसका पहले से ही 330 जिलों में विस्तार कर दिया गया है।

14. श्री मंत्री प्रसाद नैथानी, शिक्षा मंत्री, उत्तराखंड ने उल्लेख किया कि प्राकृतिक आपदाओं के चलते कम्प्यूटरों के माध्यम से शिक्षा देना मुश्किल है। यह समस्या उच्च क्षेत्रों वाले सभी राज्यों में भी मौजूद है। इसलिए उन्होंने अनुरोध किया कि स्वास्थ्य शिक्षा पर एक वृत्तचित्र तैयार किया जाए जो बच्चों पर ज्यादा प्रभाव डाल सके। उन्होंने बालिकाओं को सैनिटरी नैपकिन की आपूर्ति करने के लिए निधियों का भी मुद्दा उठाया। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि स्वास्थ्य पर सचित्र साहित्य तैयार किया जा रहा है जिसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय के माध्यम से सभी स्कूलों को भेजा जाएगा और एक वृत्तचित्र तैयार करने का भी आश्वासन दिया जो स्कूलों में वितरण के लिए एक सीडी के रूप में होगा।

15. **श्रीमती मेनका गांधी, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री** ने इच्छा जताई कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा तैयार यौन शोषण पर वृत्तचित्र 'कोमल' को स्क्रीन पर दिखाए जाने के आदेश के साथ सभी स्कूलों को भेजा जाए।

16. **श्री राजीव आर.आचार्य, प्रमुख सचिव (शिक्षा), तेलंगाना** ने यौन संवेदनशीलता पर अपने अनुभव शेयर किए। उन्होंने कहा कि अकादमिशियन, महिला संगठनों में कार्य करने का अनुभव वाले व्यक्तियों से मिलकर बनी कमेटी के सहयोग से अवर स्नातक स्तर पर मुख्यधारा शिक्षा में प्रवेश के लिए महिला मुद्दों, मानव अधिकारों, बाल अधिकारों आदि पर एक पाठ्यचर्या को तैयार किया गया है। आशा है कि यह एक अतिरिक्त पाठ्यचर्या गतिविधि न होने के बजाय मुख्य धारा का हिस्सा बनकर ज्यादा कारगर होगी।

17. **माननीया मानव संसाधन विकास मंत्री** ने केब सदस्यों को सूचित किया कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत प्रत्येक स्कूल में प्रत्येक बालिका शौचालय में सैनिटरी नैपकिन और डिस्पेंसर्स देने के उनके प्रस्ताव को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने सहमति दे दी है और सभी राज्यों को अपने स्वास्थ्य सचिवों से परामर्श के पश्चात् अगले वर्ष से इसे अपने प्रस्तावों में शामिल करने को कहा है।

18. **प्रोफेसर वासुदेव देवनानी, शिक्षा मंत्री, राजस्थान** ने उल्लेख किया कि महिला-पुरुष भेद संबंधी मुद्दों पर आशा सहयोगिनी की सहायता से विचार-विमर्श किया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने स्कूलों के 100 मीटर के भीतर तम्बाकू/गुटका/सिगरेट की बिक्री को प्रतिबंधित कर दिया है। माननीया मानव संसाधन विकास मंत्री ने इस संबंध में सभी राज्यों से उच्चतर शिक्षा संस्थानों सहित सभी शैक्षिक संस्थानों के भीतर और उसके आस-पास प्रतिबंध लगाकर एक सार्वजनिक सूचना जारी करने का अनुरोध किया।

19. **स्वामी आत्म प्रियानंद, कुलपति, रामकृष्ण मिशन विवेकानंद विश्वविद्यालय** ने विशेष बच्चों के संबंध में अपनी चिन्ता प्रकट की। उन्होंने उल्लेख किया कि उनके विश्वविद्यालयों में अशक्तता प्रबंधन और विशेष शिक्षा विभाग हैं, जिसके अंतर्गत बी.एड/एम.एड पाठ्यक्रमों का शिक्षण दिया जाता है। हालांकि, छात्रों की संख्या कम होती जा रही है, क्योंकि विशेष शिक्षक रोजगार नहीं प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि अध्यापक शिक्षा पाठ्यचर्या के अंतर्गत आईसीडी घटक, विशेष शिक्षा, छात्रों की काउंसलिंग और योग शिक्षा को अनिवार्य किया जाए। उन्होंने पुनः अनुरोध किया कि प्रत्येक स्कूल के लिए एक विशेष शिक्षा अध्यापक, जो काउंसलिंग का भी कार्यभार संभाल सके और एक शारीरिक शिक्षा अध्यापक, जो योग की शिक्षा भी प्रदान कर सके, की नियुक्ति को अनिवार्य किया जाए।

20. राज्य में अनुभव साझा करते समय, श्री तपन चक्रवर्ती, शिक्षा मंत्री, त्रिपुरा का विचार था कि शिक्षा और स्वास्थ्य, दोनों के समेकित प्रयास, बालिकाओं के विरुद्ध भेदभाव के मुद्दे को हल करने में अधिक दूरी तय कर सकते हैं। उन्होंने उल्लेख किया कि एनआरएचएम के अंतर्गत, ग्राम स्वास्थ्य और पोषण दिवस योजना के तहत, सभी ग्रामवासी सप्ताह के एक विशेष दिन पर आपस में मिलते हैं और स्वास्थ्य से संबंधित अपनी समस्याओं पर बातचीत करते हैं और यह एक अनोखा अनुभव रहा है। उसी मंच को, बालिका और बालक छात्रों के मध्य भेदभाव पूर्ण दृष्टिकोण के अन्य मुद्दों के बारे में शिक्षण हेतु उपयोग में लाया जा सकता है।

माननीया मानव संसाधन विकास मंत्री ने, उनसे, ब्यौरों और सम्पूर्ण प्रक्रिया को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ साझा करने का अनुरोध किया, जिससे, इसको सर्वोत्तम परंपरा के रूप में अन्य राज्यों के साथ साझा किया जा सके। उन्होंने, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से यह देखने का भी अनुरोध किया कि क्या इस कार्यक्रम में अन्य मुद्दे शामिल किए जा सकते हैं।

21. शिक्षा मंत्री, त्रिपुरा द्वारा प्रस्तुत किए गए दृष्टिकोण का समर्थन करते हुए श्री रामजी राघवन अध्यक्ष, अगस्त्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठान ने उल्लेख किया कि उन्होंने बसंत का आरंभ किया है, जिसके अंतर्गत लगभग 300 गांवों में युवती बालिकाएं चिन्हित की जाती हैं, जो विभिन्न आयु वर्ग के अन्य बच्चों को शिक्षण प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित करती हैं। इससे बालिकाओं का दर्जा ऊंचा हुआ है और उन्हें नेताओं की श्रेणी में खड़ा कर दिया है। उन्होंने यह सिफारिश की कि राज्य सरकारें इसके विस्तार पर विचार करें।

22. डॉ. दलजीत सिंह चीमा, स्कूल शिक्षा मंत्री, पंजाब ने सुझाव दिया कि एनआरएचएम के एक भाग के रूप में, सरकारी स्कूलों में प्रत्येक बच्चे के लिए एक अनिवार्य स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किया जाए। मानव संसाधन विकास मंत्री ने सुझाव का समर्थन किया और इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

डॉ. चीमा ने एक यह मुद्दा भी उठाया कि अधिसंख्य बच्चे गैर-चिकित्सीय विषयों का चुनाव कर रहे हैं, क्योंकि, चिकित्सीय शिक्षा खर्चीली और लम्बी समयावधि वाली, दोनों ही हैं। इससे, डाक्टरों की कमी से पहले से ही खराब स्थिति और अधिक खराब होगी। उन्होंने केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि इसमें अधिक बच्चों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से चिकित्सीय शिक्षा में छूट प्रदान की जाए। माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने इस मामले पर विचार करने का आश्वासन प्रदान किया।

23. **श्री यियाचू, स्कूल शिक्षा मंत्री, नागालैंड** ने उल्लेख किया कि कभी-कभी, लिंग भेद घटित होता है, क्योंकि बड़ी बहनों को स्कूल जाने के बजाए छोटे भाइयों की देखभाल करने के लिए कहा जाता है। केंद्र और राज्य, दोनों, स्तरों पर सरकारी कार्यक्रमों और योजनाओं के कार्यान्वयन के उचित समन्वय और नीतियों को समझाने की आवश्यकता है।

24. माननीया मानव संसाधन विकास मंत्री ने सूचित किया कि कई राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में परामर्श प्रक्रिया पहले ही प्रारंभ की जा चुकी है। हालांकि, इस संबंध में आंध्र प्रदेश, दमन और दीव, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। उन्होंने उल्लेख किया कि नई शिक्षा नीति का मसौदा दिसम्बर, 2015 तक तैयार किया जाना है। इस प्रकार, उन्होंने, सभी राज्य सरकारों से, ग्राम शिक्षा परिषद् से लेकर ब्लॉक/जिला स्तर/राज्य स्तर पर विचार-विमर्श प्रारंभ करने और नई शिक्षा नीति के संबंध में मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अपने विचार प्रेषित करने का अनुरोध किया। उसके बाद उन्होंने नई शिक्षा नीति तैयार करने के लिए परामर्श प्रक्रिया पर विचार-विमर्श करने के लिए एक मंच प्रस्तुत कर दिया।

25. **श्री मनीष सिसोदिया, उप मुख्य मंत्री और शिक्षा मंत्री, दिल्ली** ने उल्लेख किया कि नई शिक्षा नीति के लिए परामर्श प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। उन्होंने, कक्षाओं को दो पालियों को संचालित किए जाने के बावजूद, भरे हुए कक्षा-कक्ष और शिक्षकों की कमी का मुद्दा उठाया।

उन्होंने बुरी आदतों अर्थात् धूम्रपान, मदपान आदि को रोकने की दृष्टि से पाठ्यक्रम की विषयवस्तु में सुधार करने की आवश्यकता पर विशेष बल दिया है। दिल्ली में प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद इन समस्याओं का सामना करना बहुत कठिन है। उन्होंने कहा कि निजी स्कूल केवल लाभ कमाने वाली संस्थाएं हैं और सरकारी स्कूल रोजगार प्रदाता संस्थाएं। उन्होंने, इन पहलुओं पर विचार करने के निमित्त एक सीएबीई उप-समिति बनाने के लिए अनुरोध किया। उन्होंने, सामाजिक समस्याओं की ओर सबका ध्यान आमंत्रित किया और इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए यह इच्छा प्रकट की कि इन सभी समस्याओं से संबंधित ज्ञान को विषयवस्तु में शामिल किया जाए और प्रस्तावित नई शिक्षा नीति की 33 विषय वस्तुओं को पुनर्जीवन प्रदान करने के लिए कहा। इसके लिए उन्होंने एक विशेष समिति के लिए भी अनुरोध किया। इसके उत्तर में माननीया मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा कि राज्यों को पहले ही यह सलाह दी जा चुकी है कि वे नई शिक्षा नीति पर परामर्श प्रक्रिया के लिए चिन्हित की गई 33 विषय-वस्तुओं पर अपने दृष्टिकोणों के अतिरिक्त, राज्य विशिष्ट विषय-वस्तु या चुनौती की प्रेषित करें और आश्वस्त किया कि सीएबीई बैठकों की बारंबारता में सुधार होगा।

26. **प्रोफेसर वासुदेव देवनानी, शिक्षा मंत्री, राजस्थान** ने सुझाव दिया कि पूर्व-प्राथमिक शिक्षा को भी सरकारी स्कूलों में शामिल कर दिया जाए, जैसा कि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत, निजी स्कूलों में किया जा रहा है। उन्होंने, शिक्षा में नए शीर्षकों, उदाहरणार्थ- योग, सूर्य नमस्कार, सूचना प्रौद्योगिकी, 'थिंक इंडिया' आदि को शामिल करने की इच्छा प्रकट की। उन्होंने, प्रत्येक राज्य में शिक्षा पर एक राष्ट्रीय आयोग स्थापित करने का सुझाव दिया, जिससे कि सरकार में परिवर्तन, शिक्षा के ढांचे को प्रभावित नहीं करेगा। उन्होंने उल्लेख किया कि राजस्थान के 37,000 स्कूलों में बिजली नहीं है और प्रत्येक और हर एक स्कूल में, जैसा कि शौचालयों के मामले में किया गया है, बिजली का प्रावधान करने का अनुरोध किया। इससे, कम्प्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देने में भी सहायता प्राप्त होगी।

27. **माननीया मानव संसाधन विकास मंत्री** ने सूचित किया कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (एआईसीटीई) ने सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों को अपनी सायंकालीन पाली को कौशल क्षेत्र शिक्षा में परिवर्तित करने के लिए परिपत्र जारी किया है, जिससे, उपलब्ध संरचना का दोहरा उपयोग किया जा सके। प्रोफेसर देवनानी ने सुझाव दिया कि ऐसी अनुमति, व्यावसायिक शिक्षा के संबंध में स्कूलों में, उनको आईटीआई से जोड़कर प्रदान की जा सकती है। उन्होंने सुझाव दिया कि आईआईटी में उपलब्ध अवसंरचना का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए सैद्धांतिक शिक्षण स्कूलों में प्रदान किया जा सकता है और व्यावहारिक भाग आईआईटी में किया जा सकता है।

28. **माननीया मानव संसाधन विकास मंत्री** ने उल्लेख किया कि नई शिक्षा नीति पर नागरिकों से जनवरी, 2015 में, पोर्टल में Mygov.in पर सुझाव आमंत्रित किए गए थे और राजस्थान और केरल, दोनों को धन्यवाद दिया, क्योंकि, इन राज्यों से स्कूल शिक्षा और उच्चतर शिक्षा में अच्छे सुझाव अधिक संख्या में प्राप्त हुए हैं।

29. **श्री पी.के. शाही, शिक्षा मंत्री, बिहार** ने अनुरोध किया कि बिहार के संबंध में नई शिक्षा नीति की परामर्श प्रक्रिया के ब्यौरे प्रेषित करने में, वहां पर होने वाले चुनावों की दृष्टि से कोई समय-सीमा न रखी जाए। माननीया मानव संसाधन विकास मंत्री ने उनको ग्राम शिक्षा परिषद् या ब्लॉक स्तर पर अब तक किए गए कार्य के ब्यौरा प्रेषित करने की सलाह दी। शिक्षा मंत्री ने अपेक्षित ब्यौरा भेजने के लिए आश्वस्त किया।

30. **डॉ. नीरा यादव, शिक्षा मंत्री, झारखंड** का विचार था कि अनिवार्य विषयों के रूप में योग और नैतिक शिक्षा को शामिल करना बच्चों के लिए अत्यधिक सहायता होगा। उन्होंने, शिक्षा के मानकों में आई कमी को सुधारने की दृष्टि से तिमाही/छमाही/वार्षिक आधार पर परीक्षाओं की आवश्यकता पर जोर दिया।

31. श्री राम गोविंद चौधरी, बुनियादी शिक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश ने एक ऐसी शिक्षा नीति तैयार करने का अनुरोध किया, जिसके अंतर्गत, अमीर और गरीब, अधिकारी और स्टाफ और एक वीआईपी या सामान्य व्यक्ति के मध्य में किसी भेदभाव की कोई गुंजाइश न हो। उन्होंने सुझाव दिया कि शिक्षा में, नई शिक्षा नीति द्वारा सभी को समानता प्रदान की जानी चाहिए चाहे वह सरकारी स्कूल में हो या निजी स्कूल में। उन्होंने पुनः सुझाव दिया कि कम से कम हाईस्कूल तक की शिक्षा केवल सरकारी स्कूलों में दी जानी चाहिए। उन्होंने, माननीय शिक्षा मंत्री, दिल्ली द्वारा दिए गए सुझाव का समर्थन किया कि दो शिक्षा प्रणालियां नहीं होनी चाहिए, अर्थात् सरकारी स्कूलों की बजाय निजी स्कूलों में पूर्व-प्राथमिक शिक्षा का समावेशन; निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा केवल सरकारी स्कूलों में नहीं, बल्कि, निजी स्कूलों में भी दी जाए।

32. श्री पारस चन्दर जैन, मंत्री (स्कूल शिक्षा), मध्य प्रदेश ने कक्षा VIII तक बच्चों को “न रोकने की नीति” को स्वीकार किए जाने के कारण शिक्षा के मानकों में आई कमी के संबंध में अपनी चिंता प्रकट किया। उन्होंने सुझाव दिया कि प्राथमिक और मिडिल स्कूलों के लिए, एक कक्षा के लिए कम से कम एक शिक्षक का प्रावधान किया जाना चाहिए। उन्होंने सूचित किया कि आरटीई अधिनियम, 2009 में यथा-निर्धारित एक स्कूल उपलब्ध कराने के लक्ष्य को राज्य ने प्राप्त कर लिया है। उन्होंने सुझाव दिया कि नए स्कूल खोलने के बजाए, मौजूदा स्कूलों को अधिक सुविधाएं, उदाहरणार्थ दूर के स्थान से आने वाले छात्रों को परिवहन सुविधा प्रदान की जानी चाहिए।

उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि सीबीएसई स्कूलों का प्रशासनिक नियंत्रण राज्यों को दिया जा सकता है। उन्होंने स्कूलों में बी.एड और टी.एड. शिक्षकों की कमी के बारे में चिंता व्यक्त की। उन्होंने योग और एनसीसी को बढ़ावा देने, लड़कियों के लिए “आदर्श विद्यालय” फिर से खोलने, खेल-कूद आदि की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने “नवीन स्वीकृति” के तहत अतिरिक्त माध्यमिक स्कूल खोलने की आवश्यकता पर भी बल दिया। इन स्कूलों के लिए स्थान का चयन करने का अधिकार राज्य सरकार को दिया जाना चाहिए।

33. श्री किम्माने रत्नाकर, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा मंत्री, कर्नाटक ने सुझाव दिया कि नामांकन में वृद्धि करने के लिए सरकारी स्कूलों में 3 वर्ष की आयु से प्राथमिक-पूर्व शिक्षा आरंभ की जानी चाहिए। बच्चों को प्राथमिक-पूर्व शिक्षा के लिए निजी स्कूलों में भेजा जा रहा है और उसके बाद वे सरकारी स्कूलों में वापस नहीं आते हैं। उन्होंने शिक्षा के मानकों में सुधार हेतु प्रत्येक स्तर पर परीक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने शिक्षकों को अद्यतन रखने के लिए सेवा-कालीन प्रशिक्षण का भी सुझाव दिया। उन्होंने सरकारी स्कूलों को निजी स्कूलों के समतुल्य बनाने हेतु सरकारी स्कूलों की अवसंरचना में सुधार लाने का मुद्दा उठाया और इस

प्रयोजनार्थ केंद्र और राज्यों के बीच निधियां साझा करने का सुझाव भी दिया। उन्होंने XIवीं और XIIवीं कक्षा के छात्रों के लिए अलग व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता भी प्रकट की। उन्होंने बताया कि कुछ बाधा के कारण उच्च स्कूलों को आरएमएसए से अनुदान प्रदान करना बहुत कठिन है।

34. माननीया मानव संसाधन विकास मंत्री ने सूचित किया कि 'नो डिटेंशन नीति के संबंध में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (केब) की उप-समिति गठित की गई थी और समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु केब की अनुमति मांगी थी। उन्होंने सभी राज्यों से, रिपोर्ट की जांच करने और उनके राज्य के संबंध में उनकी सुविचारित राय देने का अनुरोध किया। उन्होंने कर्नाटक के शिक्षा मंत्री द्वारा दिए गए सुझावों से सहमति जताते हुए उन्होंने इस अध्यादेश के साथ केब की उप-समिति गठित करने की सलाह दी कि समिति सरकारी स्कूलों की दशा में सुधार करने का मार्ग सुझाएगी और समिति के विचारार्थ विषयों में से एक विषय यह होगा कि समिति सुझाव देगी कि सरकारी स्कूलों में सुधार करने हेतु एसएसए और आरएमएसए को कैसे संगठित किया जाए।

35. डॉ. प्रदीप कुमार पाणीग्राही, उच्च शिक्षा मंत्री, ओडिशा ने कहा कि शिक्षा नीति की प्रशासनिक, शैक्षिक, परीक्षा एवं मूल्यांकन संबंधी संरचना पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है और इन सभी संरचनाओं के संबंध में सभी राज्यों के लिए एक समान दिशा-निर्देश होने चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि पाठ्यचर्या के पाठ्यक्रम को इस प्रकार एक-समान किए जाने की आवश्यकता है कि उसमें राज्य-विशिष्ट के हितों के साथ-साथ राष्ट्रीय संबंधी विशिष्ट गुण भी शामिल हों। उन्होंने विशेष रूप से स्व-वित्तपोषित कॉलेजों में शिक्षा के व्यावसायीकरण के बारे में चिंता व्यक्त की और स्व-वित्तपोषित तथा निजी कॉलेजों को विनियमित करने के लिए नीति बनाने की इच्छा प्रकट की।

36. श्री कदियम श्रीहरि, उप मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री, तेलंगाना ने बताया कि सरकारी स्कूलों में नामांकन कम होने के दो मुख्य कारण हैं: (i) बच्चों की प्राथमिक-पूर्व आवश्यकताओं की पूर्ति न होना और (ii) अभिभावक द्वारा अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में भेजना। उन्होंने सरकारी स्कूलों में अधिगम के खराब स्तरों के बारे में चिंता व्यक्त की और सेवा-कालीन शिक्षकों के लिए शिक्षक प्रशिक्षण को सुदृढ़ करने की इच्छा जताई। वे आरटीई अधिनियम, 2009 की समीक्षा करना चाहते हैं और आरटीई अधिनियम, 2009 के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक निधियों को सरकारी संस्थाओं के सुदृढीकरण हेतु स्कूल अवसंरचना और शिक्षक प्रशिक्षण पर खर्च किए जाने की इच्छा प्रकट की। इसके अतिरिक्त, लड़कियों को निजी स्कूलों में भेजना और तत्पश्चात् शुल्क की प्रतिपूर्ति से प्राप्त निधियों का उपयोग अच्छी गुणवत्ता वाले सरकारी स्कूल मुहैया कराने में किया जा सकता है। उन्होंने और अधिक आवासीय स्कूल स्थापित करने का

अनुरोध किया क्योंकि रक्षा, सुरक्षा और शिक्षा की गुणवत्ता की दृष्टि से अभिभावक अपने बच्चों को इन स्कूलों में भेजने के इच्छुक हैं। उन्होंने स्कूलों और कॉलेजों में कौशल तथा तकनीकी शिक्षा के विकास हेतु केब की उप-समिति गठित किए जाने का सुझाव दिया। माननीया मानव संसाधन विकास मंत्री ने इस सुझाव को स्वीकार किया।

37. **डॉ. रंजीत पाटिल, शहरी विकास राज्य मंत्री, महाराष्ट्र** ने गैर-वेतन अनुदानों के उपयोग हेतु समान नीति बनाने का अनुरोध किया। उन्होंने परीक्षा-प्रणाली और अनुतीर्ण छात्रों के लिए पुनःपरीक्षा प्रणाली का समर्थन किया। उन्होंने उल्लेख किया कि उनके पड़ोसी राज्य कला और शिल्प के शिक्षकों को लगभग 14,000 रुपए का वेतन दे रहे हैं, जबकि महाराष्ट्र में एक कक्षा में 90 बच्चे होने के बावजूद ऐसी कोई नियुक्ति नहीं की जा रही है। उन्होंने इस संबंध में एक समान नीति बनाने की बात दोहराई।

38. **श्री नीरज भारती, मुख्य संसद सचिव (शिक्षा), हिमाचल प्रदेश** ने सुझाव दिया कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर में सुधार करने के लिए यह आवश्यक है कि सरकारी कर्मचारियों, जन-प्रतिनिधियों आदि के बच्चे केवल सरकारी संस्थाओं में शिक्षा प्राप्त करें।

39. **श्री धीरेन्द्र नाथ बैजबरूवा** ने महसूस किया कि माध्यमिक स्तर के बच्चों की सार्वजनिक परीक्षाएं मुख्य चिंता का विषय हैं। दिए जाने वाले ग्रेड और अंक शैक्षिक मूल्यांकन की दृष्टि से न तो विश्वसनीय होते हैं और न ही वैध। परीक्षाएं वस्तुनिष्ठ स्वरूप/अतिलघु उत्तर/लघु स्वरूप के प्रश्नों के माध्यम से आसान बनाई जा रही हैं और इसलिए सृजनात्मकता, मूल्यांकन की क्षमता या चयन-योग्यता की कोई परीक्षा आयोजित नहीं की जा रही है। उन्होंने व्यक्त किया कि ऐसे और अधिक शिक्षक तैयार करना समय की मांग है जो उचित प्रकार से प्रशिक्षित और बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रेरित हों।

माननीया मानव संसाधन विकास मंत्री ने आश्वासन दिया कि इस मामले पर राज्य बोर्ड, सीबीएसई और उच्चतर शिक्षा विभाग के बीच चर्चा की जाएगी।

40. **श्री तपन चक्रवर्ती, शिक्षा मंत्री, त्रिपुरा** ने नई शिक्षा नीति की परामर्श प्रक्रिया में ऊपर से नीचे तक संपर्क बनाने के लिए बधाई दी है। उन्होंने जोर दिया कि नई शिक्षा नीति का लक्ष्य सभी के लिए शिक्षा का अधिकार लाना होना चाहिए अर्थात् शिक्षा का सर्वसुलभीकरण।

41. श्री पी.के. शाही, शिक्षा मंत्री, बिहार ने दसवीं से यूपीएससी/आईएएस परीक्षा तक परीक्षा प्रणाली और अनुचित माध्यमों के प्रयोग पर अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने संपूर्ण शिक्षा प्रणाली देखने और इस अनुचित व्यवहार को कम करने का सुझाव देने हेतु विशेषज्ञ समिति गठित करने का अनुरोध किया। यह सूचित किया गया कि बिहार में अब तक 76 हजार अप्रशिक्षित शिक्षक हैं और इस संबंध में सहायता प्रदान करने के लिए विश्व बैंक के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह अध्यापक शिक्षा प्रणाली को सशक्त करने का व्यापक पंचवर्षीय कार्यक्रम है। इसलिए उन्होंने सभी शिक्षकों को शामिल करने के लिए समय-सीमा, अर्थात् शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत 31.03.2015 के बाद, बढ़ाने का अनुरोध किया।

42. डॉ. एम.के. श्रीधर ने कहा कि परामर्श की प्रक्रियाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और उन्होंने सुझाव दिया कि केब के सदस्यों, विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और अन्य गैर-सरकारी संगठनों को इस प्रक्रिया में भी शामिल किया जाना चाहिए। उनका यह विचार था कि अधिकारियों और अन्य सदस्यों का एक छोटा कार्यबल भी गठित किया जाए। इसके अतिरिक्त, उन्होंने सुझाव दिया कि परामर्श-प्रक्रियाओं में तीन आयामों, (i) समयबद्ध तरीके से नीति का कार्यान्वयन (ii) मूल्यांकन और (iii) फीडबैक को शामिल किया जाना चाहिए।

43. श्री मंत्री प्रसाद नैथानी, शिक्षा मंत्री, उत्तराखंड ने केब की पिछली बैठक में उनके द्वारा दिए गए सुझावों पर कोई भी कार्रवाई न किए जाने की बात उठाई और अनुरोध किया कि केब की बैठक में जो सुझाव दिए गए थे, वे कार्यान्वित होने चाहिए। उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि शिक्षा नीति को अंतिम रूप दिए जाने से पहले तीन या चार बार समयबद्ध तरीके से केब की बैठक बुलाई जानी चाहिए। माननीया मानव संसाधन विकास मंत्री ने पहले राज्य स्तर पर परामर्श को अंतिम रूप देने और सीमित समय में इसके परिणाम उपलब्ध कराने की सलाह दी है। श्री नैथानी ने 50:50 के संशोधित निधियन पैटर्न पर आधारित राज्य के भाग में योगदान करने में कठिनाई व्यक्त की है। उन्होंने यह बात भी उठाई कि सिविल कार्य और शिक्षकों के लिए आरएमएसए के तहत उपलब्ध निधि पर्याप्त नहीं है। माननीया मानव संसाधन विकास मंत्री ने परामर्श-प्रक्रियाओं के भाग के रूप में अपने सुझाव भेजने का सुझाव दिया। श्री नैथानी का विचार था कि परीक्षाएं गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करने के लिए होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि शिक्षक मध्याह्न भोजन कार्यक्रम से संबद्ध नहीं होने चाहिए। माननीया मानव संसाधन विकास मंत्री ने सूचित किया कि सभी राज्यों को

एसएमसी के माध्यम से यह कार्यक्रम चलाने की सलाह पहले ही दी गई है। उन्होंने यह भी कहा है कि केब की बैठकें न केवल दिल्ली बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी आयोजित की जानी चाहिए।

44. डॉ. इंदिरा हृदयेश, उच्चतर शिक्षा मंत्री, उत्तराखंड ने प्राथमिक शिक्षा सेक्टर की खराब हालत पर अपनी चिंता व्यक्त की। वे चाहती थीं कि उच्चतर और तकनीकी शिक्षा और माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षा पर अलग-अलग दिनों पर अलग विचार-विमर्श हो। माननीया मानव संसाधन विकास मंत्री ने बताया कि स्कूल और उच्चतर शिक्षा के लिए परामर्श प्रक्रियाओं का विषय पहले ही अलग कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, स्कूल और उच्चतर शिक्षा सेक्टर के लिए आगामी बैठक अलग से आयोजित की जाएगी और उसके बाद संयुक्त बैठक आयोजित की जाएगी जिसमें नई शिक्षा नीति के पहले मसौदे पर विचार-विमर्श किया जाएगा। उन्होंने राज्य स्तर पर अविलंब पूर्ण विचार-विमर्श करने का पुनः अनुरोध किया।

45. श्री मनीष सभरवाल, टीम लीड इंडिया का विचार था कि नई शिक्षा नीति नवाचार हेतु आगे बढ़ाई जानी चाहिए। माननीया मानव संसाधन विकास मंत्री ने उनसे यह सुझाव देने का अनुरोध किया कि कौशल शिक्षा को स्कूल शिक्षा या उच्चतर शिक्षा स्तर पर कैसे प्रोत्साहित किया जाए।

46. माननीया मानव संसाधन विकास मंत्री ने सूचित किया कि सीएबीई ने अपनी 58वीं बैठक में “निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 का स्कूल पूर्व शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा में विस्तार” करने के बारे में एक उप समिति का गठन किया था, हालांकि, समिति अभी तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर पाई है। उसने सीएबीई से उसके पुनर्गठन की अनुमति मांगी थी जो दे दी गई। बाद में कार्यसूची की तीसरी मद अर्थात् एनसीसी और एनएसएस स्कूल और कॉलेज में प्रारंभ करने पर भी चर्चा की गई।

47. श्री राजीव गुप्ता, सचिव, युवा कार्य और खेलकूद विभाग ने सूचित किया कि सीएबीई ने अपनी गत बैठक में एनएसएस को उच्चतर शिक्षा में वैकल्पिक विषय के रूप में शुरू करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया था। इसके बाद, विस्तृत परामर्शी प्रक्रिया, क्षेत्रीय कार्यशालाओं आदि के माध्यम से पाठ्यचर्या को अंतिम रूप दिया गया था। यूजीसी ने अब इसे स्वीकार कर लिया है और यूजीसी द्वारा परामर्शी जारी कर दी गई है। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को अपने-अपने कॉलेजों में एनएसएस को वैकल्पिक विषय के रूप में शुरू करने का आग्रह किया जा रहा है।

48. ले. जनरल ए. चक्रवर्ती, महानिदेशक, एनसीसी ने उल्लेख किया कि एनसीसी तीन उद्देश्यों से संस्थापित की गई है- (i) राष्ट्र के युवाओं में चरित्र साहचर्य, नेतृत्व, अनुशासन, साहसिक भावना, धर्म-निरपेक्ष दृष्टिकोण और निःस्वार्थ सेवा के आदर्श विकसित करना, (ii) जीवन के सभी क्षेत्रों में नेतृत्व करने के लिए संगठित, प्रशिक्षित और प्रेरणादायक मानव संसाधन पैदा करना तथा (iii) ऐसा उपयुक्त वातावरण तैयार करना जिसमें राष्ट्र के युवाओं को सशस्त्र सेनाओं में जीविका अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। यह बताया गया कि स्कूलों/कॉलेजों द्वारा यथा विनिश्चित अवधियों में स्कूलों और कॉलेजों में संस्थानिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाए तथा विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण शिविर अर्थात् नेतृत्व शिविर क्रीड़ा/साहस शिविर आयोजित किए जाएं।

महानिदेशक, एनसीसी ने उल्लेख किया कि स्कूलों और कॉलेजों में एनसीसी को एक वैकल्पिक विषय के रूप में प्रारंभ करने के लिए विगत सीएबीई की बैठक में निर्णय के पश्चात्, सीबीएसई ने स्कूलों को वैकल्पिक विषय के रूप में एनसीसी को लेने की सलाह दी थी और इस संबंध में यूजीसी ने 30 स्वशासी कॉलेजों को सलाह भेजी थी। यह उल्लेख किया गया कि अब तक सीबीएसई के अंतर्गत 17 स्कूलों और 12 स्वशासी कॉलेजों ने एनसीसी को स्वैच्छा से वैकल्पिक विषय के रूप में अपना लिया है। अन्य 42 गैर स्वशासी कॉलेजों ने स्वैच्छा से एनसीसी को वैकल्पिक विषय के रूप में अपना लिया है। वे धीमी प्रगति पर चिंतित थे और उन्होंने यूजीसी के अधीन 30 अतिरिक्त स्वशासी कालेज कवर करने की जरूरत पर बल दिया। उनका मत था कि जिन्होंने एनसीसी को वैकल्पिक विषय के रूप में अपनाया है उनके अंकों को अवर स्नातक स्तर पर प्रवेश प्रक्रिया के समय गणना में लिया जाना चाहिए। उन्होंने योजना का विस्तार राज्य शिक्षा स्कूलों/बोर्ड तक करने का सुझाव दिया। इसके अतिरिक्त, उन्होंने सुझाव दिया कि यूजीसी से गैर-स्वशासी कालेजों को भी परामर्शी भेजी जा सकती है।

49. श्री वी.एस.ओबराय, सचिव (उच्चतर शिक्षा), मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्कूलों और कॉलेजों में एनसीसी और एनएसएस के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने उल्लेख किया कि एनसीसी और एनएसएस ग्रेडिंग के साथ वैकल्पिक विषयों की बजाय ग्रेडिंग के बिना अनिवार्य कार्यकलाप हो सकते हैं।

50. सचिव (उच्चतर शिक्षा) के विचारों का समर्थन करते हुए श्री सुभाष खुंटिया, सचिव (स्कूल शिक्षा और साक्षरता), मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एनसीसी निदेशालय से अनुरोध किया कि इस बात की जांच की जाए कि क्या एनसीसी को वैकल्पिक विषय बनाने की आवश्यकता है

या उसे स्वैच्छिक कार्यकलाप बनाते हुए और अधिक स्कूलों तक बढ़ाने की। उनका विचार था कि एनसीसी और एनएसएस दोनों सभी स्कूलों और कॉलेजों में सह-पाठ्यचर्या कार्यक्रमों के रूप में रखे जाएं।

51. श्री पारस चन्द्र जैन, शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश ने सूचित किया कि एनसीसी को 408 सरकारी स्कूलों और 105 निजी स्कूलों में कार्यान्वित किया गया है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि वर्ष 2016-17 के दौरान इसे माध्यमिक स्कूलों में प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है।

52. श्री मंत्री प्रसाद नैथानी, शिक्षा मंत्री, उत्तराखंड ने राज्य में एनसीसी अकादमी की स्थापना के प्रस्ताव की ओर ध्यान आमंत्रित किया और दो सीटों की वृद्धि करने का अनुरोध किया। उन्होंने उल्लेख किया कि अकादमी की स्थापना के लिए भूमि प्रदान कर दी गई है लेकिन हमारे पास निधि की कमी है। अतः उन्होंने केन्द्र सरकार से इस संबंध में निधि प्रदान करने का अनुरोध किया।

53. श्री राम गोविन्द चौधरी, बुनियादी शिक्षा मंत्री, उत्तरप्रदेश ने मत व्यक्त किया कि एनसीसी सरकारी और निजी दोनों स्कूलों में अनिवार्य बनाई जानी चाहिए। तथापि, उन्होंने पीटी अर्थात् वर्दी या उसके लिए अपेक्षित अनुषंगियों के प्रबंध के लिए धनराशि प्रदान करने का अनुरोध किया।

54. डॉ. दलजीत सिंह चीमा, स्कूल शिक्षा मंत्री, पंजाब ने बताया कि राज्य में दो एनसीसी अकादमियां पहले से ही कार्यरत हैं और प्रस्ताव किया कि एनसीसी को पीटी अध्यापकों के लिए अनिवार्य कर दिया जाए।

55. श्री राम विलास शर्मा, शिक्षा मंत्री, हरियाणा ने बताया कि इस समय सीमा दर्शन प्रणाली बनाने की आवश्यकता है जिससे स्कूली बच्चे एनसीसी पाठ्यचर्या के भाग के रूप में सीमा क्षेत्रों का भ्रमण कर सकें। उन्होंने पाठ्यक्रम में योग को शामिल किए जाने की आवश्यकता पर भी बल दिया।

सीमा दर्शन के विचार का स्वागत करते हुए माननीया मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा कि एनसीसी निदेशालय/सेनाध्यक्ष से एक ऐसा कार्यक्रम तैयार करने का अनुरोध किया जाएगा और तदनुसार राज्य सरकारों के साथ साझा किया जाएगा। महानिदेशक, एनसीसी ने

उल्लेख किया कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा इसे सेना मुख्यालय के साथ समन्वित किए जाने की आवश्यकता है।

56. **डॉ. पंकज चान्दे** की राय थी कि एनसीसी को क्रेडिट/मार्क अवश्य दिए जाने चाहिए और छात्रों की शारीरिक और बौद्धिक सहभागिता सुनिश्चित करने की दृष्टि से कार्यकलाप का आंकलन अवश्य किया जाए। माननीया मानव संसाधन विकास मंत्री ने उल्लेख किया कि इसका मूल्यांकन स्कूलों द्वारा किया जाएगा।

57. **श्री किम्माने रत्नाकर, प्रधान सचिव, उच्चतर शिक्षा, कर्नाटक** ने बताया कि एनसीसी, भारत स्काउट्स, गर्ल गाइडों द्वारा बड़े पैमाने पर अवसंरचना का निर्माण किया जा रहा है किंतु इसके उपयोग में तालमेल की कमी है क्योंकि एनसीसी द्वारा की गई अवसंरचना भारत स्काउट्स अथवा गर्ल गाइडों के लिए उपलब्ध नहीं है। उन्होंने सुविधाएं साझा करने का सुझाव दिया तथा इस संबंध में कुछ दिशा-निर्देशों के लिए अनुरोध किया। माननीया मानव संसाधन विकास मंत्री ने इस मुद्दे पर रक्षा मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श करने का आश्वासन दिया।

58. **डॉ. एम.के. श्रीधर** ने बताया कि एनसीसी अनिवार्य विषय के रूप में बच्चों पर और भार बढ़ाएगा। उन्होंने इस संबंध में तीन सुझाव दिए (i) एनसीसी और एनएसएस को दूरदर्शन के माध्यम से सृजन क्रिया के रूप में बढ़ावा दिया जा सकता है ताकि छात्रों में रुचि पैदा हो, (ii) शैक्षिक वर्ष के आरंभ में एनएसएस और एनसीसी के बारे में स्कूलों और कॉलेजों में आकर्षक पोस्टर प्रदर्शित किए जा सकते हैं तथा (iii) कोई भार बढ़ाए बिना विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली में एनसीसी तथा एनएसएस को शामिल करना।

59. माननीया मानव संसाधन विकास मंत्री ने शिक्षा में एनसीसी तथा एनएसएस की भूमिका की प्रशंसा की और राज्य सरकारों से कहा कि वे अपने सुझाव दें कि किस प्रकार इन्हें उनके संबंधित राज्यों में कार्यान्वित किया जाए।

60. **श्री सुभाष खुंटिया, सचिव, (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग)** ने अगली कार्यसूची मद की संक्षिप्त जानकारी दी अर्थात् स्कूली बच्चों का भार कम करना। उन्होंने सूचित किया कि विभिन्न समितियों ने न केवल स्कूली बस्तों के वजन बल्कि भारी-भरकम पाठ्यक्रम के भार के संबंध में भी अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने सूचित किया कि 'दबाव मुक्त अधिगम' संबंधी समिति की रिपोर्ट सभी राज्यों को परिचालित की गई थी और 'राष्ट्रीय पाठ्यचर्या कार्यवाहक' (एनसीएफ), 2005 में भी पाठ्यचर्या भार कम करने और साथ ही स्कूली बस्तों का वजन कैसे

कम किया जाए, संबंधी सुझाव निहित हैं। बाद में, सीबीएसई, केवीएस, एनवीएस तथा तिब्बती स्कूलों ने भी अपने स्कूलों को दिशा-निर्देश जारी किए कि वे बच्चों का भार सीमित करें। उन्होंने तमिलनाडु और कर्नाटक में अपनाई गई कुछ अच्छी परम्पराओं की जानकारी दी। उन्होंने सभी राज्य सरकारों से अनुरोध किया कि वे विस्तृत विवरणों अर्थात् पाठ्य-पुस्तकों की संख्या, समय सारणी आदि का अध्ययन करें और सभी स्कूलों को आवश्यक अनुदेश जारी करें कि वे एक प्रणाली अपनाएं ताकि बच्चों को बहुत भारी स्कूली बस्तें न ले जाने पड़ें। पाठ्यचर्या संबंधी भार पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने राज्यों के प्रतिनिधियों की ओर से सुझाव आमंत्रित किए कि बच्चों पर अनावश्यक भार किस प्रकार कम किया जा सकता है।

61. **श्री तपन चक्रवर्ती, शिक्षा मंत्री, त्रिपुरा** ने राय व्यक्त की कि कक्षा दो तक के बच्चों के स्कूली बस्तों को स्कूल में ही संभाला और रखा जाना चाहिए। तथापि, उन्होंने देरी से सीखने वाले उन बच्चों, जिन्हें उनके घरों में पढ़ाए जाने की आवश्यकता होगी, के संबंध में अपनी चिंता व्यक्त की और एक लचीली अर्थात् छात्र की आवश्यकता पर आधारित नीति का सुझाव दिया कि बस्ते स्कूल अथवा घर पर रखा जाए। उन्होंने दूर-दराज के स्थानों, विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों में स्थित स्कूलों में स्कूली बस्ते स्कूल में रखने की सुरक्षा पर भी अपनी चिंता व्यक्त की। उनकी राय थी कि 12वीं कक्षा के छात्रों, विशेष रूप से देरी से सीखने वाले छात्रों के मामले में निर्णय स्कूल प्रबंधन समितियों पर छोड़ दिया जाना चाहिए। उन्होंने स्कूली पुस्तकों का एक सैट घर पर और दूसरा पुराना सैट स्कूल में रखने का सुझाव भी दिया। उनकी राय थी कि अभी शिक्षण का वैकल्पिक तरीका ढूढ़ने की आवश्यकता है जैसा गुजरात में किया गया है जहां शिक्षकों को शिक्षण के वैकल्पिक तरीके के रूप में नाटक, कविता तथा संगीत जैसे माध्यमों का उपयोग करने की शिक्षा दी गई है।

62. **श्री रामजी राघवन, अगस्त्य इंटरनेशनल फाउंडेशन** ने उल्लेख किया कि यदि शिक्षा को अधिक संवादात्मक जो कम लागत की विज्ञान प्रयोगशालाओं या कला प्रयोगशालाओं के माध्यम से जिज्ञासा बढ़ाता है, में बदला जाए तो इससे सीखने के स्तर और रिटेंशन में वृद्धि होगी तथा इससे बच्चे अधिक सुरक्षित व आश्वस्त होंगे और पुस्तकों पर उनकी निर्भरता कम होगी। यह शारीरिक और मानसिक दोनों दबाव कम करने के लिए सम्पूर्ण उपाय होगा। उन्होंने बालिकाओं को आत्मविश्वासी नेत्री में बदलने के लिए अपने समूह द्वारा आरंभ किए गए ऑपेरेशन 'वसंता' का उल्लेख किया।

63. **श्री राम बिलास शर्मा, शिक्षा मंत्री, हरियाणा** ने बस्ते का वजन कम करने और दूसरी स्कूल में न रोके जाने की नीति से संबंधित दो चिंताएं व्यक्त कीं। उन्होंने उल्लेख किया कि निजी स्कूलों की तुलना में सरकारी स्कूलों में प्रति छात्र अधिक व्यय किए जाने और अधिक प्रशिक्षित और सक्षम शिक्षकों के बावजूद न रोके जाने की नीति अपनाए जाने के कारण सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर कमजोर हो रहा है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि सरकारी स्कूलों के बच्चे अंग्रेजी भाषा में बहुत कमजोर हैं। हमारा विचार सरकारी स्कूलों में परीक्षा प्रणाली को पुनः स्थापित करने और अंग्रेजी भाषा को प्राथमिक स्तर पर शुरू करने का है।

64. **डॉ. सुबोध कुमार, उप सचिव (शिक्षा) तमिलनाडु** ने उल्लेख किया कि राज्य में तिमाही प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा है और इससे पुस्तकों का वजन अर्थात् कक्षा I और II में केवल 1.5 कि.ग्रा. और कक्षा VII से IX के लिए 3.7 कि.ग्रा. तक कम हुआ है।

65. **श्री रंजीत पाटिल, शहरी विकास राज्य मंत्री, महाराष्ट्र** ने उल्लेख किया कि स्कूलों में पानी की अनुपलब्धता के कारण बच्चे पानी की बोतल अपने बस्ते में रखते हैं जिससे बस्ते का वजन बढ़ता है। अतः उन्होंने पेयजल उपलब्ध कराने का सुझाव दिया।

66. **प्रो. वासुदेव देवनानी, शिक्षा मंत्री, राजस्थान** ने कहा कि मामला पाठ्यपुस्तकों के वजन का नहीं है बल्कि संदर्भ पुस्तकों का है। उन्होंने उल्लेख किया कि कक्षा I और II में केवल तीन पुस्तकें और कक्षा VIII में 7 पुस्तकें तक लाई जाती हैं। उनका विचार था कि संदर्भ पुस्तकों की स्कूलों में अनुमति नहीं होनी चाहिए।

67. **श्री मंत्री प्रसाद नैथानी, शिक्षा मंत्री, उत्तराखंड** की राय थी कि शिक्षा प्रणाली में बदलाव की आवश्यकता है जिसमें शिक्षक प्रशिक्षण पर मुख्य ध्यान दिया जाए न कि बस्ते के वजन पर। उन्होंने कहा कि अच्छे प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता से बस्ते का वजन कम होगा। उन्होंने स्कूलों में जल आपूर्ति की व्यवस्था का सुझाव भी स्वीकार किया।

68. **सुश्री अंजलि देशपांडे, "दृष्टि" की संस्थापक सचिव** ने व्यक्त किया कि स्कूलों में पुस्तकें कक्षा I से IV के छात्रों का ध्यान भंग करती हैं। शिक्षक द्वारा जो सिखाया जा रहा है, बच्चों को वहीं सीखना चाहिए और उसे बनाए रखना चाहिए तथा इसके बाद अपनी नोट बुक में अभ्यास करना चाहिए। पुस्तकों को संदर्भ के उद्देश्य से घर पर रखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने स्कूलों में पेपर के स्थान पर स्लेट के प्रयोग की आवश्यकता का विशेष उल्लेख किया तथा उसे स्कूल में रखा जा सकता है।

69. **श्री पी.के. शाही, शिक्षा मंत्री, बिहार** ने बस्ते के वास्तविक वजन और बच्चों के मानसिक दबाव दोनों का उल्लेख किया। उन्होंने उल्लेख किया कि शिक्षण की विषय-वस्तु के संबंध में समेकित दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए तथा इससे निश्चित ही बस्ते को कम करने के मुद्दे की समस्या का समाधान किया जा सकता है। उन्होंने इसके अलावा कहा कि स्कूल में बस्ता रखने का सुझाव कार्यान्वित करना कठित होगा क्योंकि बस्ते को स्कूल में रखना और अगले दिन उसे लौटाने आदर्श स्थिति अभी नहीं हुई है।

70. **प्रो. जे.एल. कौल, वीसी. एचएनबी केन्द्रीय विश्वविद्यालय, गढ़वाल** ने कहा कि ध्यान बस्ते और पुस्तकों के स्थान पर बच्चे और शिक्षक पर होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, यह आवश्यक है कि शिक्षण की विषय-वस्तु पर सावधानीपूर्वक निर्णय लिया जाए जो शिक्षण प्रणाली के निर्धारण में आगे सहायक होगी। अतः शिक्षण प्रणालियों, विद्यार्थी और शिक्षक की तार्किकता पर विचार करना आवश्यक है।

71. **श्रीमती डिम्पल वर्मा, प्रधान सचिव, उत्तर प्रदेश** ने शिक्षा मंत्री बिहार का सुझाव स्वीकार करते हुए कहा कि शिक्षकों की प्रशिक्षण प्रणाली का स्तर सुधारने की भी आवश्यकता है। उन्होंने सामाजिक परीक्षण या आर्थिक जांच कराए जाने की आवश्यकता पर भी बल दिया। माननीया मानव संसाधन मंत्री ने क्षमता परीक्षण और प्रशिक्षण प्रणाली पर निर्णय लेने के लिए केन्द्र और राज्यों की अलग बैठक बुलाए जाने का सुझाव दिया।

72. **श्री राम गोविंद चौधरी, प्राथमिक शिक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश** ने उल्लेख किया कि निजी शिक्षक प्रशिक्षण स्कूल उपयुक्त प्रशिक्षण प्रदान नहीं कर रहे हैं। उन्होंने बल दिया कि शिक्षकों का प्रशिक्षण सरकारी संस्थानों द्वारा दिया जाना अनिवार्य किया जाए। माननीया मानव संसाधन विकास मंत्री ने आश्वासन दिया कि इस मुद्दे को शिक्षक और शिक्षक प्रशिक्षण के संबंध में होने वाली बैठक में भी रखा जाएगा।

73. **श्री सुधीर के. जैन, निदेशक, आईआईटी, गांधीनगर** ने कहा कि अधिक से अधिक विषय-वस्तुएं पाठ्यचर्या में शामिल की जा रही हैं चाहे वह प्राथमिक हो, माध्यमिक या उच्चतर माध्यमिक शिक्षा। उन्होंने स्कूलों में पढ़ाए जाने वाली विषय-वस्तु को कम करने की इच्छा व्यक्त की।

74. **श्री विनायक लोहानी** ने कहा कि अब तक शिक्षा में सरकार का कार्य सेवा प्रदाता का था जिसे लगभग 43 प्रतिशत बच्चों के निजी स्कूलों में होने के कारण नियामक में परिवर्तित करने

की आवश्यकता है। उनका विचार था कि निजी स्कूलों को, शिक्षा जो वे प्रदान कर रहे हैं, की गुणवत्ता और शिक्षकों के प्रशिक्षण के प्रति उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए। डॉ. एम.के. श्रीधर ने उल्लेख किया कि कॉरपोरेट स्कूल और कॉलेजों ने भी बच्चों को अध्ययन के अतिरिक्त अन्य गतिविधियों से दूर रखते हुए दबाव बढ़ाने में योगदान किया है।

75. **प्रो. आई.के. भट्ट, निदेशक , एनएनआईटी, जयपुर** ने कहा कि एक टेबलेट जिसका वजन लगभग 50 ग्राम होता है, कापियों सहित पुस्तकों की सामग्री अपने में समा सकता है जिससे स्कूल के बस्ते का वजन कम होगा।

76. **डॉ. नीरा यादव, शिक्षा मंत्री, झारखंड** ने भी पाठ्यचर्या में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि मौजूदा विषय पाठ्यचर्या में सामग्री बहुत है जिसकी बच्चों को आवश्यकता नहीं है, इसके बावजूद शामिल हैं।

77. माननीया मानव संसाधन विकास मंत्री ने स्कूल के बस्ते के संबंध में कार्यसूची पर दी गई टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए महसूस किया कि शिक्षण प्रणाली में बदलाव लाने की आवश्यकता है तथा इच्छा व्यक्त की कि स्कूल शिक्षा और उच्चतर शिक्षा के लिए अलग-अलग शिक्षण प्रशिक्षण और शिक्षण, क्षमता परीक्षण आदि के मुद्दे पर चर्चा के लिए राज्य शिक्षा मंत्रियों और सचिवों की अक्टूबर माह में विशेष बैठक बुलाई जाए। निजी क्षेत्र के संबंध में राज्य सरकारों की चिंताओं पर उस बैठक में चर्चा की जा सकती है। उन्होंने बताया कि कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र जैसे राज्यों द्वारा किए गए बेहतर कार्य-प्रदर्शन को दिशा-निदेशों सहित टैम्पलेट तैयार की जाएगी तथा उसे अन्य राज्यों के साथ उनके विचार के लिए साझा किया जाएगा।

78. माननीया मानव संसाधन विकास मंत्री ने बताया सीसीई के मूल्यांकन तथा कार्यान्वयन के बारे में और न रोकने के उपबंध (आरटीई अधिनियम 2009 के अन्तर्गत) संबंधी उप-समिति की रिपोर्ट जिसका गठन सीएबीई द्वारा उसकी 06 जून, 2012 को आयोजित 59वीं बैठक में किया गया था, को पटल पर रख दिया गया है। उन्होंने सभी राज्यों के प्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि वे उप-समिति द्वारा की गई सिफारिशों का अध्ययन करें तथा अपने विचार लिखित में भेजें कि वे अपने-अपने राज्य में किस प्रकार का मॉडल अपनाना चाहेंगे ताकि केन्द्र सरकार इस संबंध में एक व्यापक निर्णय पर पहुंच सकें। तत्पश्चात उन्होंने इस संबंध में चर्चा आमंत्रित की।

79. **श्री पी के शाही, शिक्षा मंत्री बिहार-** जो उप-समिति के सदस्य थे, उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट अनुभव जन्य अध्ययन पर आधारित है अर्थात् इस रिपोर्ट को तैयार करने से पूर्व सभी हित धारकों जिनमें विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक आदि शामिल हैं एवं सुदुरवर्ती गांवों के साथ परामर्श किया गया है। लगभग 90 प्रतिशत विद्यार्थियों तथा अभिभावकों का यह मत था कि परीक्षाओं को आयोजित किया जाना जरूरी है और यह कि समय के साथ एक सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पद्धति विकसित करने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि उप-समिति व्यापक एवं विस्तृत चर्चा के पश्चात इस निर्णय पर पहुंची कि वह स्थिति न रोकने की नीति को लागू किया जाए, अभी नहीं आई है और मूल्यांकन पद्धति अनिर्वाय है।

80. कुछ राज्यों के प्रतिनिधियों ने सूचित किया है कि वे परीक्षा प्रणाली के पक्ष में हैं और उन्होंने अपने-अपने राज्यों में परीक्षाओं का आयोजन आरंभ कर दिया है। माननीया मानव संसाधन विकास मंत्री ने इस बात को पुनः दोहराया कि सभी राज्यों को 15 दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में अपनी राय भेजनी चाहिए और यह आश्वासन दिया कि आरटीई अधिनियम, 2009 में संशोधन सहित इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

81. **श्री दीलीप रंजेकर-** ने रोके रखने की नीति, तथा सरकारी स्कूलों में पूर्व प्राथमिक शिक्षा शामिल करने के निर्णय को समाप्त करने का अनुरोध किया। उन्होंने सुझाव दिया कि एक उचित समय के पश्चात अध्ययन न कर पाने वाले छात्र को अगली कक्षा प्रोन्नत न किया जाए।

82. **श्री किम्माने रत्नाकर, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा मंत्री, कर्नाटक -** ने कहा कि रोकना (फेल करना) प्रारंभिक स्तर पर बहुत कठोर निर्णय है। तथापि उन्होंने छात्रों के मूल्यांकन के लिए परीक्षाओं की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन अनिर्वाय है रोके रखने से छात्रों को क्षति पहुंच सकती है। उन्होंने सूचित किया कि राज्य में रोकने संबंधी नीति समाप्त करने का विचार पुष्ट होता जा रहा है।

83. **प्रोफेसर वासुदेव देवनानी, शिक्षा मंत्री, राजस्थान** परीक्षा पद्धति के पक्ष में थे परन्तु उनका विचार था कि रोके रखने की पद्धति केवल 5वीं तथा 8वीं कक्षा में ही होनी चाहिए।

84. **प्रो. (डॉ) राम शंकर कठेरिया, राज्य मंत्री मानव संसाधन विकास मंत्रालय-** ने कई बहुमूल्य सुझावों के लिए सदस्यों की सहारना की। उन्होंने योग्य शिक्षकों के न होने के संबंध में अपनी चिन्ता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि अच्छे अध्यापकों को कैसे प्रशिक्षित किया जाए इस

संबंध में चर्चा आयोजित की जाए कि वे कैसे गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने में सहायक हो सकते हैं, इस बारे में चर्चा करने की जरूरत है।

85. डॉ. आर सी लालू, उप मुख्य मंत्री (शिक्षा) मेघालय और श्री सरतबार्का टेकी, शिक्षा मंत्री असम- बैठक में उपस्थित नहीं हो सके। तथापि उनके भाषणों को बैठक में परिचलित किए गया जो क्रमशः **संलग्नक III एवं IV** पर संलग्न हैं। अन्य सीएबीई सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दे **संलग्नक V** पर दिए गए हैं।

86. अन्त में निम्नलिखित संकल्प पारित किए गए:-

- i) सीएबीई की तीन उप-समितियों गठित करने का निर्णय लिया गया जो क्रमशः निम्नलिखित मुद्दों पर विचार करेंगी। क) स्कूल के बाहर वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल करना, ख) सरकारी स्कूलों की अवसंरचना में सुधार करने हेतु उपाय एवं सुझाव, ग) स्कूलों तथा उच्च शिक्षा प्रणाली में कौशल एवं तकनीकी शिक्षा में सुधार एवं बढ़ावा देने के उपाय। प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधि, शिक्षाविदों तथा विशेषज्ञों के साथ ये उप-समितियां एक वर्ष की अवधि में अपनी रिपोर्ट तथा सिफारिशें प्रस्तुत करेंगी
- ii) राज्यों से अनुरोध किया गया कि वे गाँव, ब्लॉक, शहरी स्थानीय ब्लॉकों और जिला स्तरों पर जमीनी चर्चाएं यथाशीघ्र पूरी कर लें और उन्हें MY GOV पर अपलोड करें। राज्य स्तर पर चर्चा के पश्चात अन्तिम सिफारिशें मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पास अक्टूबर माह के अन्त तक पहुंच जानी चाहिए।
- iii) सीएबीई के सदस्यों ने स्कूल तथा कॉलेज के विद्यार्थियों को राष्ट्रीय कैडेट कॉर्पस तथा राष्ट्रीय सेवा स्कीम में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित करने के तरीकों पर विचार किया जिनसे छात्रों में अनुशासन, राष्ट्रीय एकता और सामुदायिक सेवा की भावना पैदा होती है। यह महसूस किया गया कि ये छात्रों के विकास और अध्ययन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होने के साथ-साथ समाज के लिए भी बहुत मूल्यवान हैं। ये कार्यकलाप छात्रों की अधिगम उपयुक्ता से तैयार अभिन्न अंग बनते हैं ये कार्यकलापों की श्रृंखला का केन्द्र बिन्दु बन सकते हैं। अन्य सहपाठ्यचर्या कार्यकलापों में प्रदर्शित और सृजनात्मक कलाओं के साथ-साथ सामुदायिक सेवा को भी शामिल किया जा सकता है।

- iv) सीएबीई ने स्कूली बच्चों के बोझ को हल्का करने का मुद्दा उठाया। इस बारे में कई विचार तथा सुझाव प्रस्तुत किए गए।
- v) यह निर्णय लिया गया कि शिक्षण शिक्षक प्रशिक्षण तथा भर्ती के संबंध में चर्चा करने के लिए अक्टूबर, 2015 के आरम्भ में राज्य मंत्रियों के साथ मानव संसाधन विकास मंत्रालय में एक विशेष बैठक आयोजित की गयी थी।
- vi) राज्य सरकारों के साथ-साथ स्पष्ट सुझावों सहित बैठक में विषय पर आम सहमति थी कि 'रोके रखने की नीति' को समाप्त कर दिया जाए। शिक्षा मंत्रियों, राज्य के प्रतिनिधियों तथा सीएबीई के सदस्यों ने आम राय से इस नीति को समाप्त करने की जरूरत के संबंध में अपनी सहमति व्यक्त की। तथापि भारत सरकार ने सुझाव दिया कि राज्य सरकारें 15 दिन की अवधि के भीतर अपने औपचारिक विचारलिखित रूप में मानव संसाधन विकास मंत्रालय को प्रस्तुत करें ताकि केन्द्र सरकार इन सिफारिशों के आधार पर आगामी कार्रवाई के लिए केन्द्र सरकार का अगला कदम होगा।

अध्यक्ष महोदया का धन्यवाद करते हुए बैठक समाप्त हुई।

19 अगस्त, 2015 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में हुई
63वीं केब बैठक में उपस्थित सहभागियों की सूची

1. श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी, माननीया मानव संसाधन विकास मंत्री - अध्यक्ष
2. श्रीमती मेनका गांधी, महिला एवं बाल विकास मंत्री
3. श्री जे.पी. नड्डा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री
4. श्री राम शंकर कठेरिया, मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री
5. श्री पी.के. शाही, शिक्षा मंत्री, बिहार
6. श्री मनीष सिसोदिया, उप-मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री, दिल्ली
7. श्री राम बिलास शर्मा, शिक्षा मंत्री, हरियाणा
8. श्री नीरज भारती, मुख्य संसदीय सचिव (शिक्षा), हिमाचल प्रदेश
9. डॉ. नीरा यादव, शिक्षा मंत्री, झारखंड
10. श्री किम्माने रत्नाकर, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री, कर्नाटक
11. श्री आर.सी. लालू, उप-मुख्यमंत्री, प्रभारी शिक्षा, मेघालय
12. श्री एच.रोहलुना, स्कूल शिक्षा मंत्री, मिज़ोरम
13. श्री पारस चन्द्र जैन, शिक्षा मंत्री, मध्य प्रदेश
14. डॉ. रंजीत पाटिल, शहरी विकास राज्य मंत्री, महाराष्ट्र
15. श्री यिताचु, मंत्री, स्कूल शिक्षा, नागालैंड
16. डॉ. प्रदीप कुमार पानीग्राही, उच्चतर शिक्षा मंत्री, ओडिशा
17. श्री थिरू. टी. थियागाराजन, शिक्षा मंत्री, पांडिचेरी
18. डॉ. दलजीत सिंह चीमा, स्कूल शिक्षा मंत्री, पंजाब
19. प्रो. वासुदेव देवनानी, शिक्षा मंत्री, राजस्थान
20. श्री केडियम श्रीहरि, उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री, तेलंगाना
21. श्रीमती रंजीव आर. आचार्य, प्रधान सचिव, शिक्षा, तेलंगाना
22. श्री तपन चक्रवर्ती, शिक्षा मंत्री, त्रिपुरा
23. श्री राम गोविन्द चौधरी, मूल शिक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश
24. श्री मंत्री प्रसाद नैथानी, शिक्षा मंत्री, उत्तराखंड
25. डॉ. इंदिरा हृदयेश, उच्चतर शिक्षा मंत्री, उत्तराखंड
26. श्री अम्बेश जंगरे, संसदीय सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़
27. श्री रामजी राघवन, अध्यक्ष, अगस्त्या फाउंडेशन
28. डॉ. एल.वी. मुरलीकृष्णा रेड्डी, अध्यक्ष, इंजीनियर संस्थान
29. डॉ. विजय पी. भाटकर, अध्यक्ष, आईआईटी दिल्ली
30. डॉ. एस.ए. बारी, कुलपति, गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय
31. डॉ. वनिथा मुरली कुमार, अध्यक्ष, केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद, सीसीआईएम

32. श्री लतीफ मगदम, सचिव, एमसीई सोसायटी
33. प्रो. पंकज चांडे, पूर्व-अध्यक्ष, उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार
34. प्रो. सुधीर के. जैन, निदेशक, आईआईटी, गांधी नगर
35. प्रो. (डॉ.) इन्द्रानील मन्ना, निदेशक, आईआईटी कानपुर
36. डॉ. आर. रामास्वामी, उपाध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी
37. डॉ. एम.के. श्रीधर, आचार्य, बेंगलौर विश्वविद्यालय
38. श्री मनीष सभरवाल, अध्यक्ष, टीम लीज सर्विसिस लिमिटेड
39. श्री धीरेन्द्र नाथ बेजबोरूहा, पूर्व संपादक, दी सेनटिनेल
40. स्वामी आत्माप्रियानंदा, कुलपति, रामकृष्ण मिशन विवेकानंद
41. प्रो. संतोष पांडा, अध्यक्ष, एनसीटीई
42. प्रो. वाई. सुदर्शन राव, अध्यक्ष, आईसीएचआर
43. डॉ. सुशील वचानी, निदेशक, आईआईएम, बेंगलौर
44. प्रो. वेद प्रकाश, अध्यक्ष, यूजीसी, दिल्ली
45. प्रो. अनिल डी. सहस्त्रबुद्धे, अध्यक्ष, एआईसीटीई
46. डॉ. जयश्री मेहता, अध्यक्ष, भारतीय चिकित्सा परिषद
47. प्रो. अखिलेश के. त्यागी, अध्यक्ष, राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, भारत
48. श्री संजीव भीकचंदानी, कुलपति और संस्थापक, इन्फो ईडीबीई (नौकरी डॉट कॉम)
49. श्रीमती स्वरूप सम्पत, मुंबई
50. श्रीमती मंजु सिंह, संस्थापक, विश्व किड्स
51. प्रो. जे.एल. कौल, कुलपति, एचएनबी केन्द्रीय विश्वविद्यालय, गढ़वाल
52. प्रो. बिनोद के. त्रिपाठी, निदेशक, एनसीईआरटी
53. श्रीमती अंजली देशपांडे, दृष्टि स्त्री अध्ययन केन्द्र
54. श्री विनायक लोहानी, संस्थापक, परिवार संगठन
55. डॉ. जोराम बेगी, पूर्व निदेशक, उच्चतर और तकनीकी शिक्षा, अरुणाचल प्रदेश सरकार
56. डॉ. नाहीद अबीदी, एम-34, वी.डी.ए. कॉलोनी, शिवपुर, वाराणसी
57. श्री दिलीप रंजेकर, सीईओ, अजिम प्रेमजी फाउंडेशन
58. श्री वी.एस. ओबरॉय, सचिव (उच्चतर शिक्षा), मानव संसाधन विकास मंत्रालय
59. डॉ. सुभाष सी. खुंटिया, सचिव (स्कूल शिक्षा और साक्षरता), मानव संसाधन विकास मंत्रालय
60. श्री कुंजी लाल मीना, शिक्षा सचिव, राजस्थान
61. श्रीमती पुण्य सलीला श्रीवास्तव, शिक्षा सचिव, दिल्ली
62. श्री विरेन्द्र कुमार, शिक्षा सचिव, गोवा
63. ले. जन. ए. चक्रवर्ती, डीजी, एनसीसी, रक्षा मंत्रालय
64. ब्रिगेडियर आर.के. शर्मा, डीडीजी (प्रशिक्षण), मुख्यालय डीजी, एनसीसी

65. प्रो. जनध्याला बीजी तिलक, कुलपति, न्यूपा
66. प्रो. चन्द्रा बी. शर्मा, अध्यक्ष, एनआईओएस
67. श्री वी.एस. सेन्थिल, अपर मुख्य सचिव, केरल
68. सुश्री रीना रे, अपर सचिव, एमएचआरडी
69. श्री बी.एन. तिवारी, डीडीजी(सांख्यिकी), एमएचआरडी
70. श्री मरन्या ईटीई, शिक्षा सचिव अरूणाचल प्रदेश
71. श्री एच. दिलीप सिंह, शिक्षा सचिव, मणिपुर।
72. श्री आर.पी. सिसोदिया, सचिव, आंध्र प्रदेश सरकार
73. श्री डी.डी. अग्रवाल, आयुक्त, स्कूल शिक्षा, मध्य प्रदेश
74. श्रीमती के संध्या रानी, आयुक्त, स्कूल शिक्षा, आंध्र प्रदेश
75. श्री ई.पी. खरभीह, आयुक्त एवं सचिव शिक्षा, मेघालय
76. श्री पी. वाईफेई, आयुक्त एवं सचिव, उच्चतर एवं तकनीकी शिक्षा और एससीईआरटी, मणिपुर
77. श्री टी.के.एल.एन. सेट्टी, प्रोफेसर के सचिव, बंगलौर विश्वविद्यालय
78. श्री जे आलम, संयुक्त सचिव (ईई.।), मानव संसाधन विकास मंत्रालय
79. डॉ. एन.के. साहू, आर्थिक सलाहकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय
80. श्री एस.पी. गोयल, संयुक्त सचिव (एचई), मानव संसाधन विकास मंत्रालय
81. श्री प्रवीण कुमार, संयुक्त सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय
82. श्री राकेश रंजन, संयुक्त सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय
83. श्री एस.एस. संधू, संयुक्त सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय
84. श्री वाई.एस.के. शेषु कुमार, संयुक्त सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय
85. श्री मनीष गर्ग, संयुक्त सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय
86. डॉ. सतबीर बेदी, संयुक्त सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय
87. श्री एस.एल. नेगी, संयुक्त सचिव (आरएमएसए II), एसई और एल, मानव संसाधन विकास मंत्रालय
88. श्रीमती सुनीता सांघी, सलाहकार, नीति आयोग
89. डॉ पीतम सिंह, संयुक्त सलाहकार, नीति आयोग
90. डॉ ए. मुखोपाध्याय, सलाहकार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली
91. डॉ ए.बी. हरपनहल्ली, सलाहकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय और सीसी
92. डॉ जे. कृष्णा राजू, राज्य परियोजना निदेशक, पुडुचेरी

93. श्री एल. के. गुप्ता, संयुक्त सचिव, युवा मामले, युवा मामले विभाग
94. डॉ एम.बी. चेट्टी, महानिदेशक, मानव संसाधन विकास, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
95. श्री विजय वर्धन, अपर मुख्य सचिव, उच्चतर शिक्षा, हरियाणा
96. श्री डी.सी राणा, अपर सचिव, शिक्षा, हिमाचल प्रदेश
97. श्री एस.आर. मोहंती, अपर मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश
98. श्री लालज़िरमविया छांगरे, अपर सचिव, स्कूल शिक्षा, मिजोरम
99. श्री ए. सुब्रामण्यम, अपर सचिव (टीई), मानव संसाधन विकास मंत्रालय
100. श्रीमती डिंपल वर्मा, प्रधान सचिव, बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश
101. डॉ आर. समल, प्रधान आवासीय आयुक्त, त्रिपुरा भवन
102. श्री डी.के. प्रधान, अपर सचिव एवं निदेशक, तकनीकी शिक्षा, सिक्किम
103. श्री टी.सी. गुप्ता, प्रधान सचिव, स्कूल शिक्षा, हरियाणा
104. श्री जी के ढल, प्रधान सचिव, ओडिशा सरकार
105. श्री एस रामास्वामी, प्रधान सचिव, उत्तराखंड
106. श्री अजीत एम शरण, सचिव, आयुष
107. श्री राजीव यदुवंशी, आयुक्त एवं सचिव (शिक्षा), अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पोर्ट ब्लेयर
108. श्री संजय कुमार सिंह, प्रधान सचिव, मध्य प्रदेश
109. श्री अशीम श्रीवास्तव, सदस्य सचिव, एनसीपीसीआर
110. श्री कीथांगलो वांथ, प्रधान सचिव, नागालैंड
111. श्री पी के बोर्थकुर, प्रधान सचिव, असम
112. श्री अजय सेठ, प्रधान सचिव, प्राथमिक शिक्षा, कर्नाटक
113. श्री भरत लाल मीणा, प्रधान सचिव, उच्चतर शिक्षा कर्नाटक
114. प्रो (डॉ) जसपाल सिंह संधू, सचिव, यूजीसी
115. डॉ अजय कुमार, अपर सचिव इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी विभाग
116. श्री के. सेंथिल कुमार, अपर सचिव, बिहार
117. डॉ के. वेंकटसुब्बैया, अध्यक्ष, केट, इंजीनियर्स संस्थान (भारत)
118. श्री आर.डी. सोलंकी, निजी सचिव, स्कूल शिक्षा मंत्रालय, मध्य प्रदेश
119. श्री जी.डी. रतूडी, शिक्षा मंत्री के विशेष कार्य अधिकारी, उत्तराखंड सरकार
120. श्री डी.के. गोयल, उप सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय

121. श्री गया प्रसाद, निदेशक, मानव संसाधन विकास मंत्रालय
122. श्रीमती पद्मजा सक्सेना, उप सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय
123. श्रीमती अनामिका सिंह, उप सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय
124. श्री भास्कर जी नायक, निदेशक, उच्चतर शिक्षा, गोवा
125. श्री जी.पी. भट्ट, निदेशक, स्कूल शिक्षा, गोवा
126. डॉ. बी पालित, निदेशक, उच्चतर शिक्षा त्रिपुरा
127. सुश्री पद्मिनी सिंगला, निदेशक शिक्षा, दिल्ली
128. श्री एचआरपी यादव, निदेशक, इंजीनियर्स संस्थान (भारत), दिल्ली
129. श्री एम.एल. आजाद, अपर निदेशक, शिक्षा, हिमाचल प्रदेश
130. श्री सेनथांग, अपर निदेशक (एसई), नागालैंड सरकार
131. श्रीमती रीटा खन्ना, निदेशक, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय और सीसी
132. डॉ सतपाल सिंह साहनी, सहायक निदेशक, उच्चतर शिक्षा, उत्तराखंड
133. श्री वी. के. देवलंगा, पी एस, संसद अनुभाग, शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़
134. श्री संजय कुमार ओझा, निदेशक, एससीईआरटी, छत्तीसगढ़
135. श्री चंचल सिंह, उप निदेशक स्कूल शिक्षा, चंडीगढ़
136. श्री डी.के. चतुर्वेदी, ओएसडी (शिक्षा), अरुणाचल प्रदेश
137. सुश्री सुरभि जैन, निदेशक, मानव संसाधन विकास मंत्रालय
138. श्रीमती शकीला टी. शमसु, ओएसडी (एनईपी), मानव संसाधन विकास मंत्रालय
139. श्री नाजिम, उप सचिव, आईसीएचआर
140. डॉ. आकिब जावेद, संयुक्त निदेशक, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
141. प्रो इंदर कृष्ण भट्ट, निदेशक, एम एन आई टी - जयपुर
142. श्री अशोक के पावाडिया, अपर सचिव एंड सलाहकार, आईएससीएस, आईएससीएस/
एमएचए
143. डॉ आलोक के श्रीवास्तव, उप निदेशक, रूस, उत्तर प्रदेश
144. श्री दीपक कुमार, प्रशासनिक अधिकारी, वास्तुकला परिषद
145. डॉ. सुरेंद्र सिंह, निदेशक, एससीईआरटी, चंडीगढ़
146. श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल, महा निदेशक, स्कूल शिक्षा सह एसपीडी, पंजाब
147. डॉ सुबोध कुमार, उप सचिव, तमिलनाडु
148. श्री घनश्याम गोयल, अपर महानिदेशक, पत्र सूचना कार्यालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

149. श्री सुनीश आहूजा, मुख्य परामर्शदाता टीएसजी-सर्व शिक्षा अभियान, मानव संसाधन विकास मंत्रालय
150. श्री सुनील कुमार, पीए राज्य मंत्री (एचआरडी), मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार
151. डॉ प्रकाश कुमार यादव, बेसिक शिक्षा अधिकार, उत्तर प्रदेश
152. श्री आलोक जवाहर, अवर सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय
153. श्रीमती रजनी तनेजा, अवर सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय
154. श्री एम. के. पांडे, अवर सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय
155. श्री सुजीत गुलाटी, एसीएस (शिक्षा), गुजरात
156. श्री पंकज जोशी, पी एस (उच्चतर एवं तकनीकी शिक्षा), गुजरात
157. कर्नल आरपीएम पंघाल, डीजी, एनसीसी, एनसीसी के एस.ओ
158. श्रीमती दयावंती, मीडिया अधिकारी, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, शास्त्री भवन
159. श्री सुदीप्त चटर्जी, अनुसंधान सहायक, एडसिल, नई दिल्ली
160. श्री आर के रातवया, नोडल अधिकारी, छत्तीसगढ़
161. श्रीमती शीदा रानी, पत्रकार, आकाशवाणी
162. श्रीमती सुमन गौतम, अनुभाग अधिकारी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय
163. श्री पदम सिंह, अनुभाग अधिकारी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय
164. श्री के.के. शर्मा, टीएसजी-एमडीएम, मानव संसाधन विकास मंत्रालय
165. श्री भूपेंद्र कुमार, सलाहकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय

फा.स.2-8/2015-पीएन-1
भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग
(पीएन-1 अनुभाग)

शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110115
दिनांक 21 सितम्बर, 2015

सेवा में,

केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (केब) के सभी सदस्य

विषय: केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (केब) की दिनांक 19 अगस्त, 2015 को हुई 63वीं बैठक के विचार-विमर्श के रिकार्ड का सारांश।

महोदय/महोदया,

मैं, श्रीमती स्मृति जूबिन इरानी, माननीया मानव संसाधन विकास मंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 19 अगस्त, 2015 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में हुई केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की 63वीं बैठक में भाग लेने के लिए माननीय मंत्रियों और केब के प्रतिष्ठित सदस्यों, भारत सरकार के सचिवों, केन्द्र एवं राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों और प्रख्यात शिक्षा विदों का धन्यवाद करते हुए यह पत्र लिख रहा हूँ।

2. केब बैठक में हुई चर्चा के रिकार्ड का सारांश अवलोकनार्थ संलग्न है।

भवदीय,

(राकेश रंजन)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 23071486

संलग्न: यथोपरि

संलग्नकों सहित प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

- (1) भारत सरकार के प्रतिनिधियों के निजी सचिव (केन्द्रीय मंत्री/सदस्य (शिक्षा) नीतिआयोग)
- (2) सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के शिक्षा मंत्रियों के निजी सचिव
- (3) सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के प्रधान सचिव/सचिव (शिक्षा)
- (4) वेब मास्टर, सीएमआईएस (मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु)
- (5) 63वीं केब बैठक की गार्ड फाइल।

केन्द्रीय सलाहकार शिक्षा बोर्ड की दिनांक 19 अगस्त, 2015 को हुई 63वीं बैठक की चर्चा में हुए विचार-विमर्श के रिकार्ड का सारांश

माननीया केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जूबिन इरानी की अध्यक्षता में केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की 63वीं बैठक दिनांक 19 अगस्त, 2015 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी।

2. बैठक में केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री, श्रीमती मेनका संजय गांधी, केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, श्री जे. पी. नड्डा और मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री श्री आर. एस. कठेरिया उपस्थित थे।

3. बैठक में 19 राज्यों के शिक्षा मंत्री एवं 29 राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के प्रतिनिधि, केब सदस्य, स्वायत्त संगठनों के प्रमुख, विश्वविद्यालयों के कुलपति, वरिष्ठ शिक्षाविद् उपस्थित थे। श्री वी.एस. ओबराय, सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग और सदस्य सचिव, केब तथा डॉ. सुभाष सी खुंटिया, सचिव, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, अन्य केन्द्र एवं राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में उपस्थित थे।

4. केब, केन्द्र एवं राज्य सरकार को शिक्षा के क्षेत्र को परामर्श देने हेतु शीर्ष परामर्शी निकाय है। दिनांक 10 अक्टूबर, 2013 को हुई पिछली बैठक की कार्यसूची की कृत कार्रवाई नोट के साथ पुष्टि की गई थी।

5. केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने अपने प्रारंभिक भाषण में पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय शिक्षा एवं शिक्षण मिशन (पीएमएमएमएनएमटीटी), स्वयम (स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स) राष्ट्रीय शैक्षिक नेटवर्क पहल (ज्ञान) और राष्ट्रीय अविष्कार अभियान (आरएए) जैसी नई और आसन्न पहलों के माध्यम से सभी को गुणवत्ता शिक्षा संवर्धन में मंत्रालय की उपलब्धियों के बारे में बताया। उन्होंने उनके महत्व और शिक्षा क्षेत्र को रूपान्तरित करने में उनकी उत्प्रेरक की भूमिका पर बल दिया और इसके कार्यान्वयन में राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों की सक्रिय भागीदारी की मांग की।

6. उन्होंने 29 वर्ष बाद ऐसी एक परामर्शी और समावेशी नई शिक्षा नीति को तैयार करने संबंधी प्रक्रिया पर व्यापक रूप से अपने विचार व्यक्त किए जो परिवर्तित परिदृश्यों और महत्वकांक्षाओं तथा देश एवं उसकी अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुरूप होगी। बहुआयामी और व्यापक स्तर की प्रक्रिया में जमीनी स्तर के लोग शामिल हैं जिसमें गांव स्तर की बैठकों से लेकर ब्लॉकों, पंचायतों, जिलों और शहरी स्थानीय निकायों (यूएलवी) के माध्यम से राज्य स्तर की बैठकें शामिल हैं। अध्यक्ष महोदया ने राज्यों से जमीनी स्तर के परामर्श को आरम्भ करने और उसकी प्रगति से एचआरडी को सूचित करते रहने का अनुरोध किया।

7. अध्यक्ष महोदया ने सदस्यों को यह भी सूचित किया कि वह द्विपक्षीय भागीदारी और वार्ता की प्रक्रिया को जारी रखने के लिए पूरे सितम्बर माह में राज्यों का दौरा करेंगी।

8. बैठक में बहुत से निर्णय लिए गए जिनमें से कुछ कार्य-सूची का भाग थे और कुछ राज्य सरकारों और विशेषज्ञों द्वारा उठाए गए सरोकारों में से थे। निम्नलिखित संकल्प पारित किए गए-

- (i) केब की तीन उप-समितियों के गठन का निर्णय लिया गया जो क्रमशः क) स्कूल से बाहर के बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ने संबंधी मुद्दे और बाधाएं और उन्हें शैक्षिक प्रणाली के दायरे में लाने संबंधी उपायों ख) सरकारी स्कूलों में अवसंरचना, पर्यावरण, अनुरक्षण और अधिगम परिणामों में सुधार लाने के उपायों और सुझावों (ग) स्कूल और उच्चतर शिक्षा प्रणाली में कौशल और तकनीकी शिक्षा में सुधार और वृद्धि के उपायों पर विचार करेंगी। ये उप-समितियां, जिनमें राज्यों के प्रतिनिधि, शिक्षाविद् और विशेषज्ञ शामिल होंगे, एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट और सिफारिशें प्रस्तुत करेंगी। इन समितियों का संभावित संघटन **संलग्नक-1** पर दिया गया है।
- (ii) केब सदस्यों ने स्कूल और कॉलेज छात्रों को राष्ट्रीय क्रेडिट कॉरप्स और राष्ट्रीय सेवा योजना, जो अनुशासन को अंतर्निविष्ट, राष्ट्रीय एकता को पोषित एवं सामुदायिक सेवा को बढ़ावा देती हैं, में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित करने के उपायों पर विचार किया। यह महसूस किया गया कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और छात्रों के विकास और अधिगम के लिए लाभदायक होने के साथ-साथ समाज के लिए भी अहम हैं। ये गतिविधियां समुचित रूप से संरचित गतिविधियों की मुख्य श्रृंखला का निर्माण करेंगी जो छात्रों की शिक्षण प्रक्रिया का अविभाज्य अंग बनेंगी। अन्य पाठ्येतर गतिविधियों में प्रदर्शन और सृजनात्मक कलाओं के साथ-साथ सामुदायिक सेवा को भी शामिल किया जा सकता है।
- (iii) केब ने स्कूली बच्चों के बोझ को कम करने संबंधी मुद्दे पर विचार किया। इस विषय पर भिन्न-भिन्न विचार और सुझाव रखे गए।
- (iv) यह निर्णय लिया गया था कि शिक्षण, अध्यापक प्रशिक्षण और भर्ती के बारे में चर्चा करने के लिए अक्टूबर, 2015 के प्रारंभ में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राज्य मंत्रियों के साथ एक बैठक की जाएगी।
- (v) बैठक में इस पर आम सम्मति थी, जिसमें राज्य सरकारों ने स्पष्ट रूप से सुझाव दिया कि “स्कूल में ना रोके जाने संबंधी” नीति को वापस लिया जाए। शिक्षा मंत्रियों, राज्यों के प्रतिनिधियों और केब सदस्यों ने सर्वसम्मति से ऐसा करने की आवश्यकता पर सहमति जताई। तथापि, भारत सरकार ने प्रस्ताव किया कि राज्य सरकारें औपचारिक रूप से अपने विचार लिखित में 15 दिनों के भीतर मानव संसाधन विकास मंत्रालय को उपलब्ध करा दें, जो इन सिफारिशों के आधार पर आगामी कदमों पर विचार करेगा।

8. अध्यक्ष को धन्यवाद जापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

स्कूल से बाहर के बच्चों को पुनः लगाने हेतु मार्ग तय करने के लिए उप-समिति

| क्र.सं. | नाम | |
|---------|---|---------------|
| 1. | श्री उपेन्द्र कुशवाहा, मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री | अध्यक्ष |
| 2. | श्री तपन चक्रवर्ती, मंत्री (स्कूल एवं उच्चतर शिक्षा), त्रिपुरा | सदस्य |
| 3. | श्री पारस चंद्र जैन, मंत्री (स्कूल शिक्षा), मध्य प्रदेश | सदस्य |
| 4. | श्री राम बिलास शर्मा, शिक्षा मंत्री, हरियाणा | सदस्य |
| 5. | श्री रामजी राघवन, संस्थापक अध्यक्ष, अगस्त्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठान एवं केब सदस्य | सदस्य |
| 6. | श्री विनायक लौहानी, संस्थापक, परिवार संगठन एवं केब सदस्य | सदस्य |
| 7. | सुश्री अंजली देशपांडे, संस्थापक सचिव 'दृष्टि' स्त्री अध्ययन प्रबोधन केन्द्र एवं केब सदस्य | सदस्य |
| 8. | सुश्री स्वरूप संपत, केब सदस्य | सदस्य |
| 9. | अध्यक्ष, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग | सदस्य |
| 10. | निदेशक, एनसीईआरटी | सदस्य |
| 11. | अपर सचिव (स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता) एमएचआरडी | सदस्य सचिव |

सरकारी विद्यालयों की दशा सुधारने हेतु मार्ग तय करने के लिए उप-समिति

| क्र.सं. | नाम | |
|---------|---|---------------|
| 1. | डॉ. दलजीत सिंह चीमा, मंत्री (स्कूल शिक्षा), पंजाब | अध्यक्ष |
| 2. | श्री पी.के. शाही, शिक्षा मंत्री, बिहार | सदस्य |
| 3. | श्री राम गोविंद चौधरी, मंत्री (बेसिक शिक्षा), उत्तर प्रदेश | सदस्य |
| 4. | डॉ. नीरा यादव, मानव संसाधन विकास मंत्री, झारखंड | सदस्य |
| 5. | श्री किम्माने रत्नाकर, शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (प्राथमिक एवं माध्यमिक), कर्नाटक | सदस्य |
| 6. | प्रो. वासुदेव देवनानी, शिक्षा राज्य मंत्री (प्राथमिक एवं माध्यमिक), राजस्थान | सदस्य |
| 7. | प्रो. एम.के. श्रीधर, प्रोफेसर केनरा बैंक प्रबंधन अध्ययन स्कूल और केब सदस्य | सदस्य |
| 8. | श्री दिलीप के. राजनेकर, सीईओ, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन और केब सदस्य | सदस्य |
| 9. | कुलपति, न्यूपा | सदस्य |
| 10. | संयुक्त सचिव (एसई) एमएचआरडी | सदस्य सचिव |

स्कूल और उच्चतर शिक्षा प्रणाली में कौशल एवं तकनीकी शिक्षा हेतु उप-समिति

| क्र.सं. | नाम | |
|---------|---|------------|
| 1. | प्रो.(डॉ.) राम शंकर कठेरिया, मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री | अध्यक्ष |
| 2. | श्री यिताचु, मंत्री (स्कूल शिक्षा), नागालैंड | सदस्य |
| 3. | श्री मंत्री प्रसाद नैथानी, मंत्री (स्कूल शिक्षा), उत्तराखंड | सदस्य |
| 4. | डॉ. रंजीत पाटिल, शहरी विकास राज्य मंत्री, महाराष्ट्र | सदस्य |
| 5. | श्री मनीष सभरवाल, सीईओ, टीम लीज़ इंडिया एवं केब सदस्य | सदस्य |
| 6. | डॉ. जोराम बेगी, केब सदस्य | सदस्य |
| 7. | अध्यक्ष, इंजीनियर्स संस्थान | सदस्य |
| 8. | अध्यक्ष, यूजीसी | सदस्य |
| 9. | अध्यक्ष, एआईसीटीई | सदस्य |
| 10. | अध्यक्ष, एनआईओएस | सदस्य |
| 11. | अपर सचिव (टीई), एमएचआरडी | सदस्य सचिव |